an>

Title: Further discussion on resolution regarding steps to ensure welfare of Employees Provident Fund Pensioners (Discussion not concluded).

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up Private Members Resolution regarding the steps to ensure welfare of Employees Provident Fund pensioners.

Shri Ajay Mishra Teni may speak now.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : सभापति महोदय, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा 11 दिसम्बर, 2015 को कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेंशनभोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के बारे में जो संकल्प प्रस्तुत किया गया था, मैंने इसके बारे में इससे पूर्व सभा में अपने विचार व्यक्त किए थे। उनकी चिन्ताओं पर मैं कोई प्रश्नचिन्ह नहीं उठाता हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार पहले से ही लोगों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने, कर्मचारियों की भविष्य निधि, उनके भविष्य एवं कल्याण के बारे में चिन्तित है। इसके लिए बहुत सी योजनाएं सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी हैं, जिनका जिक्र मैंने पिछली बार किया था। प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी हैं। निश्चित रूप से गरीबी उन्मूलन और गरीबों को आर्थिक सुरक्षा देना भारत सरकार की प्राथमिकता है। मौजूदा सरकार के विषय में, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस सरकार ने जब से काम संभाला है, तब से गरीबी दूर करने के लिए और सभी को शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले और आर्थिक सुरक्षा मिले, इस दिशा में काम कर रही है। सबके पास रोजगार हो और भविष्य के लिए उनके पास पर्याप्त धन हो, ऐसी सारी व्यवस्थाओं के प्रति यह सरकार चिंतित है और उसके लिए लगातार काम कर रही है। अगर मैं यह कहूं कि हमारी सरकार ने एक लक्ष्य लेकर काम प्रारम्भ किया है तो वर्ष 2024-25 तक हमारी सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है कि 8 से 9 करोड़ ग्रामीण परिवारों को, लगभग 40 करोड़ लोगों को विभिन्न आजीविकाएं शुरु करके गरीबी को खत्म करने का काम यह सरकार करने वाली है। हमने ग्रामीण रोजगार और मानव विकास के लिए बहुत से आयाम स्थापित किये हैं जिसमें क्षमता विकास के माध्यम से गरीबों की संस्थाओं का सशक्तीकरण, वित्तीय और आजीविका सहायता सेवाओं को बढ़ावा देना, ग्रामीण आबादी को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, मानव विकास की गुणवत्ता में सुधार करना इत्यादि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से हम 2024-25 तक इस देश के 40 करोड़ गरीब लोगों को समाज की मुख्य धारा में ले आना चाहते हैं और उसके लिए जो हमने कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं, उनको हम निरन्तर 6 से 8 वर्ष तक मार्गदर्शी सहायता भी प्रदान करेंगे और केवल पूंजीगत सब्सिडी न देकर, पूंजी का निरन्तर निवेश, बचत ऋणों का पारस्परिक आदान-प्रदान और बैंकों से ऋण, ऐसी सारी सुविधाएं देकर कृषि और गैर-कृषि कौशलों पर आधारित तथा स्व-रोजगार आजीविकाओं को बढ़ावा दिये जाने का काम यह सरकार करेगी।

दीर्घकालिक सहायता के लिए गरीबों की अपनी संस्थाओं और संघों का विकास करना ऐसी बहुत सारी नीतियां हमारी सरकार ने बनाई हैं, जिनके माध्यम से हम गरीबों को कर्ज के बोझ से छुटकारा दिलाने का काम, उनको खाद्य असुरक्षा की जो समस्या आती है, उसको दूर करने का काम, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और प्रवास जैसी असुरक्षाओं से भी निपटना हमारे उद्देश्य हैं। जैसे हमारी सरकार ने तय किया है और आप सभी जानते हैं कि आवास को लेकर भी हमारी सरकार बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। सबको आवास प्रदान करने का लक्ष्य हमने 2022 तक के लिए लिया है और 2022 तक हम 6 करोड़ से ज्यादा घर बनाकर ऐसे लोगों को देने का काम कर रहे हैं।

उसके अलावा अगर हम यह बात करें कि उनकी आमदनी कैसे बढ़े तो उसके लिए हमने कृषि और गैर-कृषि आधारित व्यवसाय भी प्रारम्भ करने का काम किया है, जिसमें कृषि, पशु-पालन, वानिकी, गैर-इमारती वन उत्पाद, गैर-कृषि जैसी नयी आजीविकाओं के साथ अन्य आजीविकाएं जो गांवों में संभव हैं, उनको भी हम लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। जब से हमारी सरकार बनी है, नये उभरते हुए बाजारों में लघु-उद्यमों, स्व-रोजगार, कौशल-आधारित रोजगार, अभी कौशल विकास के लिए हम लोगों ने एक नया मंत्रालय बनाया है। हमारी सरकार ने कौशल विकास मंत्रालय बनाकर उसको सभी मंत्रालयों से जोड़ा। उसके पीछे यह उद्देश्य था कि सभी मंत्रालयों में हम लोग स्किल्ड डवलपमेंट का काम करें और स्किल्ड डवलपमेंट के माध्यम से ऐसे लोग जो समाज की मुख्य धारा में आने से पिछड़ गये हैं, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको हम संगठित क्षेत्र में लाएं और यदि संगठित क्षेत्र में न भी ला पाएं तो असंगठित क्षेत्र में भी वे अपने कामकाज की क्षमता और योग्यता के आधार पर अच्छी कमाई कर सकें। ऐसा प्रयास हमारी सरकार का है। उसमें निरन्तर काम हो रहा है।

मैं यहां सदन में बताना चाहता हूं कि परसों, दो तारीख को भारत सरकार एक बहुत बड़े पैमाने पर कौशल विकास के केन्द्रों को प्रारम्भ करने जा रही है। 2 तारीख को 14 राज्यों के 34 कौशल केन्द्रों का उद्घाटन होने जा रहा है जिसे सीधे-सीधे राष्ट्रपति जी सम्बोधित करने वाले हैं। ये बहुत बड़े काम हैं जिनके माध्यम से हमारे लाखों नौजवानों को रोजगार और आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध होगी। ये सारे काम भारत सरकार निरन्तर कर रही है और इसका उद्देश्य यह है कि हम यह चाहते हैं कि हमारे जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर तबका है, वह समाज की मुख्यधारा में आ सके और आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सके।

अगर मैं वर्ष 2015-16 की भारत सरकार की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बात करूं तो मैं बताना चाहूंगा कि 29 लाख परिवारों को हम लोगों ने स्वयं-सहायता-समूहों के माध्यम से ढाई लाख स्वयं-सहायता-समूह बनाकर उनको संगठित किया है। जो 12 लाख परिवारों को जोड़ने का हमारा लक्ष्य था, लेकिन अब 29 लाख तक हम पहुंचे हैं, जो 245 प्रतिशत अधिक है। यह भारत सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

एक लाख स्वयं-सहायता समूहों को 142 करोड़ की आर.एफ. हमने दी है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने 65000 स्वयं सहायता समूहों को 19000 करोड़ के ऋण भी हमने दिये हैं। यानी जो हमने सब्सिडी दी, उसके साथ-साथ 19000 करोड़ रुपये के ऋण भी दिये गये हैं। नौजवानों और महिलाओं के लिए भी हमारी सरकार बहुत चिन्तित है। 34 लाख महिला किसानों को भी ऐसी सहायता दी गई है।

उसके अलावा मैं सभापति जी को यह बताना चाहता हूं कि आपने विभिन्न जिले, जो पिछड़े हुए हैं, उनको चिन्हित करके, उनके लिए विशेष पैकेज भी दिये हैं। ऐसे ही, पूर्वोत्तर का जो हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के बारे में भी मैं कल भी इस सदन में सुन रहा था। हमारे कुछ साथी चर्चा कर रहे थे कि विकास की अवधारणा में पूर्वोत्तर के राज्य पिछड़ गये थे, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है, हमने अपनी सरकार में पूर्वोत्तर के राज्यों को प्राथमिकता पर रखा है। उस प्राथमिकता का असर तीन साल के सरकार के कामकाज में दिखने लगा है। आज हम देख रहे हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ी हैं, सड़कें बढ़ी हैं, रेल की लाइनें निरन्तर बढ़ रही हैं और उसके साथ-साथ वहां के लोग देश की मुख्यधारा में आकर राजनैतिक और सामाजिक रूप से अपनी भूमिका कर रहे हैं। ...(व्यवधान) आप चिन्ता मत करिए। मैं आपकी आलोचना नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपको तथ्यों से अवगत जरूर कराना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापतिः माननीय सदस्य, हमारा एक स्पेसिफिक विषय है- एम्पलाईज वेलफेयर ऑफ दि प्रोविडेंट फंड, (पेंशन)। पहले 22 मिनट बाकी चीजें आप यहां बोल चुके हैं। यह विषय ही पकड़कर बोलना है तो बोलिए। यह आज का स्पेसिफिक विषय है।

श्री अजय मिश्रा टेनीः माननीय सभापति जी, उन्होंने यह बात कही, इसीलिए मैंने यह कहा है। ...(व्यवधान) पेंशन के बारे में मैं बोल रहा हूं, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि पेंशन की जरूरत इसीलिए पड़ी कि देश का समग्र विकास नहीं हुआ। आज जो चिन्ता प्रेमचन्द्रन जी ने की, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्होंने 6-7 बातें उठाई, जिनका मैंने अपने पिछले भाषण में दो चीजों का जवाब दिया था। जो 27000 करोड़ रुपये का एक फंड इस समय हमारे पास उपलब्ध है, उसको आवास में लगाने की बात उन्होंने कही थी। भारत सरकार पहले ही वह आवास कर्मचारियों को उपलब्ध कराने के लिए योजना बना चुकी है। उन्होंने 3000 रुपये कम से कम पेंशन की बात कही थी। निश्चित रूप से भारत सरकार के मंत्रिमंडल ने 1000 रुपया न्यूनतम करने का काम किया है। यहां पर माननीय मंत्री जी भी उपस्थित हैं।

मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि वर्ष 2004 में यह पेंशन जो बंद की गई, इसके विषय में भी बात होनी चाहिए। वर्ष 2004 के बाद जो हमारे कर्मचारी आए, उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया और मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाए जिससे निश्चित रूप से हमारे देश के लोगों को एक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इस बात को माननीय प्रेमचन्द्रन जी को कहना चाहिए था, लेकिन हमारी सरकार इसके विषय में चिन्तित है और मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध भी कर रहा हूं।

मैं सभापति जी से एक बात जरुर कहना चाहूंगा, आपको हो सकता है कि यह बात थोड़ा विषय से हटकर लगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो हमारे साथी ने कहा, हमारी जानकारियां

फैक्ट्स के विषय में भी होनी चाहिए। जब हमारे देश को आजादी मिली, अगर उस समय हमने विकास के एक ऐसे ढांचे को अपनाया होता जो लोगों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का काम करता तो निश्चित रूप से हमें भविष्य में पेंशन के लिए इतना चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं होती। उस समय जो मॉडल उपलब्ध थे, उस समय गांधी जी का एक मॉडल था, जो ग्राम विकास के मॉडल पर आधारित था। सुभाष जी का एक मॉडल था, जो देश के विकास के लिए था, लेकिन पंडित दीनदयाल जी ने मानव विकास का एक मॉडल दिया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह बात अभी थोड़ा सा विषय से हटकर लग सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें इसको जोड़ना आवश्यक है कि हम लोगों के सतत विकास के लक्ष्यों पर कल चर्चा हो रही थी। मैं उसमें कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया इस बात के लिए ही चिन्तित है कि लोगों को लगता है कि लोग असुरक्षित हैं और आर्थिक रूप से असुरक्षा के कारण वे अपने भोजन और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके पास धन नहीं है। हमने वर्ष 2015 के सतत् विकास वर्ष में जो लक्ष्य तय किया है और वर्ष 2014 के मिलेनियम गोल्स में भी यह तय किया गया था कि गरीबी के सभी रूपों का अंत होना चाहिए। यह एक बड़ा लक्ष्य है। जब सभी स्वस्थ हों और सभी शिक्षित हों तभी गरीबी का पूर्ण रूप से उन्मूलन संभव है।

मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं, मैं पुरानी सरकारों की आलोचना नहीं करना चाहता हूं लेकिन जब पूरी दुनिया ने इस पर बहस की है तब पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत है, उसमें उन्होंने कहा था कि वास्तव में, सतत् विकास एक जन केन्द्रित समझौता है, यानी जब तक एक-एक व्यक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक पूरी दुनिया का विकास संभव नहीं है।

अभी मैंने जो बात कही है कि विकास के हमारे जो लक्ष्य तय है, उनमें गरीबी उन्मूलन का जो पहला लक्ष्य है, वह तभी पूरा होगा जब स्वास्थ्य और शिक्षा का लक्ष्य पूरा होगा। मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि वर्ष 2014 के बाद हमारी सरकार आयी है, उसने यह प्रयास किया है। गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर गरीबी दूर करने के लिए भी जो भी आवश्यक उपक्रम थे, वे सारे उन्होंने प्रारंभ किये हैं।

संयोग से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी ने तीन साल में 'इंद्रधुनष योजना', 'जननी सुरक्षा योजना', गर्भस्थ शिशुओं के लिए, बच्चों के अल्पकालिक मृत्यु को रोकने के लिए, कुपोषण को रोकने के लिए अभी वह नयी स्वास्थ्य नीति लेकर आये हैं। इन सभी के पीछे केवल यही उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायें। जब लोग स्वस्थ होंगे, तभी वे काम करने योग्य होंगे, वे शिक्षालय और विद्यालय में जाने के योग्य होंगे। जब वे इस तरह के काम करेंगे तो वे निश्चित रूप से अपने रोजगार को ठीक ढंग से चला पायेंगे, अपनी कमाई ठीक ढंग से कर सकेंगे, उनकी आमदनी ठीक होगी। चाहे वे जो काम करते हों, चाहे खेती करते हों या अन्य काम करते हों, ऐसे सभी कामों को वे भरपूर क्षमता से कर पायेंगे तो वे आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे और उनकी जेब में भी पैसा होगा। ऐसे लोग शिक्षित हों, यह भी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। भारत सरकार सतत् विकास लक्ष्य के साथ कदम से कदम मिला कर चल रही है। हमने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बहुत सारे काम किये हैं, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में हमारे शिक्षा मंत्री प्रकाश जावेडकर जी, वह यहां नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं, आप सदन के पुराने सदस्य हैं। सभापति महोदय, आप विद्वान हैं, आप रोज देखते हैं कि कई सारे बिल्स आये, कई सारे सुधार हुए। हम लोग प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि सारी चीजें ठीक हों और लोग शिक्षित हों।

हम लोग देखते थे कि महिलाओं को पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है। महिलाओं की सामाजिक कार्यक्रमों में जितनी भागीदारी होनी चाहिए थी, वह नहीं थी। हमारी सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए बहुत बेड़-बेड़ कार्यक्रम चलाये हैं। प्रधान मंत्री जी ने पहली योजना 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' चलायी। आज तीन साल के बाद हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान की महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ है। तीन साल के बाद महिलाओं की स्थिति में बड़ा बदलाव हिन्दुस्तान में देखने को मिल रहा है। यह अच्छे भविष्य की ओर बढ़ने की दिशा में एक सेकत है। इन सारी बातों के पीछे एक उद्देश्य है कि हम लोगों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध करा सेंक। जैसा कि आपने कहा है कि भविष्य निधि के विषय में बात होनी चाहिए। हमारे देश में कर्मचारियों का एक बड़ा तबका है। यहां संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। दोनों लोग यह चाहते हैं कि जब हमारा शरीर कमजोर हो, हम काम करने के लायक न रहें तो पेंशन के रूप में हमारे पास एक आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। इसके लिए सभी लोग प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे देश में वर्ष 2004 के बाद पेंशन योजना समाप्त की गयी है, उससे हमारे देश के कर्मचारियों में आक्रोश था। हम लोग यह चाहते थे कि वर्ष 2004 के बाद पेंशन जो योजनायें बंद कर दी गयी थीं, उन पेंशन योजनाओं को फिर से प्रारंभ किया जाय।

उसके साथ-साथ अगर हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बात करें, इस बारे में हमारे मंत्री जी अपने उत्तर में विस्तार से बताएंगे। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी पेंशन मिल सेक, उसके लिए अटल पेंशन योजना के माध्यम से बहुत बड़ी योजना बनाई है और उसका असर भी दिखने लगा है। हमारे जो मजदूर बागवानी में, खेती आदि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी पेंशन योजना और आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के पास एक बहुत बड़ी योजना है और भारत सरकार उस पर काम कर रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किये हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। पहले जब सरकार इस विषय में काम नहीं कर रही थीं, तब निश्चित रूप से इनकी आवश्यकता रही होगी, लेकिन जब से मोदी सरकार ने काम करना प्रारम्भ किया है, हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में हमने बहुत तत्परता के साथ काम किया है। प्राइवेट नौकरियों के बारे में बात करें या आर्थिक रूप से देश को सुदृढ़ बनाने की बात करें, हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। जब हमारा देश आर्थिक रूप से सुरक्षित होगा, तो हमारे देश के लोगों की औसत आमदनी भी बढ़ेगी और उनका जो सुरक्षित फंड होता है, वह भी बढ़ेगा, जिससे ओल्ड एज के समय में उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

महोदय, कल जीएसटी बिल पास किया गया है। देखने में यह बिल सामान्य लगता है, लेकिन जहां आर्थिक कारणों की बात आएगी, उसे ध्यान में रखते हुए जीएसटी का बहुत महत्व है। इस समय पूरी दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और दुनिया के केवल 40 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जो अपने आप में समर्थ हैं और 60 प्रतिशत लोग बेहद गरीब हैं, अशिक्षित हैं और उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। हिंदुस्तान एक बड़ा देश है और पहले से ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और शिक्षित है। इस कारण हमारे देश ने पहले से ही ऐसी योजनाएं बनाई हैं और पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया है। हमारा देश आर्थिक रूप से सुरक्षित और मजबूत हो, इसके लिए जीएसटी बिल की परिकल्पना की थी। चूंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और संघीय ढांचे का देश है, जिसमें सभी राज्यों को अपने यहां कानून बनाने का अधिकार है और टैक्स वसूलने का भी अधिकार है। इस वजह से देश में टैक्स की एक ऐसी व्यवस्था बन गई थी, जिसने अव्यवस्था का रूप ले लिया था। इसलिए जीएसटी जैसे कानून की आवश्यकता थी। जीएसटी बिल के लिए वर्ष 2006-07 में प्रयास प्रारम्भ हुआ था, वह दस साल बाद पास हुआ और उसे पास करने में जो समस्यायें थीं, उन्हें हमने दूर किया।

माननीय सभापतिः आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अजय मिश्रा टेनीः महोदय, मैं केवल एक या दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

जीएसटी बिल को पास करने के पीछे एक उद्देश्य था कि सारे टैक्सों को संगठित करके एक रूप में रखा जाए और टैक्सों का इस तरह से बंटवारा किया जाए, जिससे मध्यम वर्ग पर उसका दबाव नहीं पड़े, लेकिन उच्च वर्ग के लोगों की आमदनी अधिक है, उनसे अधिक टैक्स वसूला जाए और जो लग्ज़री चीजें है, उनके लिए भी टैक्स वसूला जाए। हमारे देश का जो गरीब और मध्यम तबका है, उसे हम आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध करा सेंक, इसके लिए इस बिल में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। मैं सारी चीजों के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि भविष्य निधि और लोगों की आर्थिक सुरक्षा के लिए जीएसटी बिल एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।

महोदय, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के बहुत से कार्यक्रम हमारी सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। देश के बुजुर्ग या ऐसे लोग जो अपने रोजगार नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के माध्यम से दो करोड़ बाईस लाख लोगों को पेंशन देने का काम किया गया है। तीन करोड़ पैंसठ लाख लोगों को हमने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के माध्यम से राशि दी है।

विकलांगता पेंशन योजना के माध्यम से भी 11 लाख विकलांग लोगों को भारत सरकार ने पेंशन दिया गया है। इसके साथ ही, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों ने बहुत अच्छा काम किया है। श्री थावरचंद गहलोत जी, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, ने भी बेड़-बेड़ काम किये हैं, वे सबकी नज़र में है। जहाँ पूरे देश में विकलांग लोगों को पेंशन उपलब्ध कराने का काम किया गया है, वहीं उन लोगों को विभिन्न प्रकार के विकलांगता-उपकरण भी उपलब्ध कराये गये हैं। इसलिए मैं अन्य बातों पर नहीं जाऊँगा, लेकिन माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि वर्ष 2004 के बाद पुरानी पेंशन प्रणाली को बंद कर दिया गया था, उसको शुरू करने का काम करें। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा जो संकल्प यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, वह आज की दृष्टि से असंगत है, असहज है और उसकी कोई आवश्यकता इस समय नहीं है, क्योंकि सरकार पहले से ही बहुत से कार्यक्रमों को लेकर चल रही है। लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित हों, इसके लिए सरकार बहुत से काम कर रही है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा। इस विषय पर ज्यादा बोलने की मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन जब मैंने इस संकल्प को पढ़ा तो इसमें क्रम संख्या-2 पर लिखा गया है- "कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के लाभार्थियों को सेवानिवृत्ति के ठीक पहले 12 महीने के औसत वेतन के आधार पर पेंशन प्रदान करना।"

क्रम संख्या-4 पर लिखा है- "कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अधीन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर तीन हजार रुपये प्रति माह करना।"

क्रम संख्या-5 पर लिखा है-"लगभग पाँच हजार करोड़ रुपये की अदावाकृत भविष्य निधि राशि का उपयोग करके पेंशनभोगियों के लिए अवकाश योजना सहित कल्याण योजना लागू करना।"

क्रम संख्या-7 पर लिखा है-"कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का विभिन्न क्षेत्रों तक विस्तार करना।"

ये कुछ बातें हैं, जिनको देखकर मेरी इच्छा हुई कि मैं इस पर कुछ अपनी बातें रखूँ। मैं गांव का आदमी हूँ, किसान हूँ। जब कभी ऐसी कोई बात आती है, तो मैं उसमें खोजता हूँ कि उसमें मेरे लिए कुछ गुंजाइश है या नहीं। जहाँ मेरे लिए गुंजाइश नहीं रहती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई उपाय लगे कि गांव के गरीब किसान के लिए भी कोई गुंजाइश हो।

आज कई प्रकार के पेंशन हैं। जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, उनके लिए तो कानून हैं। पहले से कई कानून थे, उनमें श्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने और कई अच्छे-अच्छे कानून लाकर सुधार किया है, जिससे कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सुविधाओं में अधिक से अधिक लाभ और सुरक्षा मिलेगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धावस्था पेंशन है, बीपीएल पेंशन है, विधवाओं के लिए पेंशन है, विकलांगों के लिए पेंशन है। इस प्रकार से अलग-अलग ढंग से सभी के लिए पेंशन है। लेकिन मैं देखता हूँ तो उस माला में किसान और खेतिहर मजदूर के लिए कहीं पर पेंशन और भविष्य निधि की बात नहीं होती है। आखिर भविष्य निधि तो सभी को चाहिए। विधायक पेंशन है, सांसद पेंशन है, विकलांग पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, मजदूर पेंशन है और संगठित क्षेत्रों में सभी के लिए पेंशन है। लेकिन, गांव में काम करने वाले किसान और खेतिहर मजदूरों, जिनमें सर्वाधिक दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, के लिए कोई पेंशन नहीं है। आप उनको निर्धन कहें, पिछड़ा कहें, दलित कहें, सभी में वही हैं। उनको अलग-अलग ढंग से पेंशन भले ही मिलती हो, लेकिन किसान और खेतिहर मजदूर के नाम पर उनको पेंशन नहीं मिलती है।

सभापति जी, भविष्य निधि का क्या मतलब होता है। भविष्य के लिए कोई ऐसा कोष बने, ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। बुढ़ापे में अपने मकान में रहें और रोटी, कपड़ा मिल सके, दवा मिल सके, किसी पर आश्रित न रहे, इसलिए भविष्य निधि की बात की जाती है।

16.00 hours

सरकारी नौकरी में लोगों को वेतन मिलता है, जिसमें से हर महीने कुछ राशि ई.पी.एफ. फंड के लिए कटती है। उसमें कारखानेदारों या सरकार की तरफ से भी राशि मिलाई जाती है। जब वे रिटायर होते हैं, तो उन्हें वह राशि में पूरा जोड़-जोड़कर दिया जाता है। मैं किसान हूँ। बचपन से ही मैं अपने माँ-बाप के साथ खेत में मेहनत करता हूँ।

महोदय, एक योजना चली थी - अर्निंग एंड लर्निंग। हम तो बचपन से ही अर्निंग भी करते हैं और लर्निंग भी करते हैं। अपने माँ-बाप के साथ खेत पर जाकर गाय, भैंस और बकरी चराते हैं। हम खेत के बाकी काम भी करते हैं। हम समय निकालकर स्कूल में जाकर पढ़ते हैं और शाम को वापस आकर अपने जानवरों के दाना-पानी की व्यवस्था करते हैं। शाम को जब समय मिला, तब किताब लेकर बैठे और पढ़ाई की। आखिर वह किसान भी तो काम करता है। मैं यह पूछना चाहूँगा कि उसका कोई भविष्य है या नहीं है? मेरे दिमाग में अक्सर यह बात आती है कि उसका भी तो भविष्य है।

महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि वह बहुआयामी दृष्टि से सोच रही है कि समाज में सब लोग सुरक्षित हों। जन-धन योजना किसलिए बनाई गई। इस योजना के तहत एक रुपया महीने पर लोगों का बीमा कराया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि समाज का सब से कमजोर और निर्बल व्यक्ति भी एक रुपया दे सके जिससे उसको दो लाख रुपए सुरक्षित रूप से मिल सकें। योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के बड़े-बड़े अफसर पढ़े-लिखे और विद्वान लोग हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे अपने दिमाग से कोई ऐसी ही स्कीम हमारे लिए भी निकालें। वे कोई ऐसी स्कीम लेकर आएँ जिससे किसान की भी कुछ राशि कटकर जमा होती रहे और 60 साल की आयु के बाद बुढ़ापे में उसे भी किसान और भूमिहर मजदूर होने के नाते पेंशन के रूप में कुछ पैसा मिल सके। प्रेमचन्द्रन जी कहते हैं कि मजदूर के लिए 3,000 रुपए सुनिश्चित होने चाहिए। नीचे के फोर्थ ग्रेड मजदूरों के लिए यह लागू किया जा सकता है। जो क्लास वन और क्लास टू के मजदूर हैं, उनके लिए प्रति माह 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जाए। आखिर उन मजदूरों के लिए भी कोई इस तरह की व्यवस्था सोची जानी चाहिए।

महोदय, मैं बंडारू दत्तात्रेय जी के बारे में कहता हूँ। वे भी गरीबी से निकलकर आए हैं। इस सदन में वे एक दिन कह रहे थे कि कैसे वे स्कूल से पढ़कर अपनी माँ के साथ सामान बेचने के काम में मदद करने के लिए जाते थे। वे बता रहे थे कि वे घंटे - दो घंटे के लिए वह काम करते थे। इस काम के लिए भी वे अपना दिमाग लगाकर सोचें और अपने मंत्रालय के बड़े-बड़े अधिकारियों को कहें। मैं मानता हूँ कि उन अधिकारियों के पास बुद्धि है, वे सरकार चलाते हैं, लेकिन जब आप उनको निर्देश देंगे, तभी तो वे कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि इस देश में अंकशास्त्री विषधर के समान हैं। आप जैसा बीन बजाएँगे, वैसा ही वे नाचेंगे। यदि आप बीन बजाना ही नहीं जानते हैं, तो आप उन्हें क्या नचा पाएँगे। आप बीन में यह राग बजाइए कि आपके अधिकारी किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए भी कोई ऐसी योजना बनाएं, जैसी संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बनी हुई है। हर नागरिक के भविष्य के बारे में सोचना सरकार का काम है। संविधान ने कहा है कि उसकी नजर में हिन्दुस्तान के सभी लोग बराबर हैं, लेकिन जब मैं मूल्यांकन करता हूँ, तो पाता हूँ कि हमारी बराबरी कहीं नहीं है। आप भी इसी समाज से आते हैं। आपको भी बचपन में कुछ भोगना पड़ा होगा।

'जाके पैर न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई।'

जिसने कभी खुद परेशानी का सामना न किया हो, वह किसी और की परेशानी कैसे जानेगा।

मैं इसलिए सदन में इस बात को रख रहा हूँ जिससे कि यह सदन सुने, देश सुने, सरकार सुने, प्रशासनिक तंत्र के अधिकारी सुनें, इस देश के विद्वान सुनें और योजनाएँ बनाने वाले नीति आयोग के अधिकारी सुनें। क्या ये सब लोग मेरे दुखड़े को नहीं सुन सकते? क्या ये लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते? हम 60 बरस की आयु तक हल चलाते हैं। आधा पेट खाते हैं, आधा तन कपड़े पहनते हैं, जमीन पर सोते हैं और बीमार पड़ते हैं। जब हमारे पेट में दर्द होता है, तो हम किसी वनस्पति से काढ़ा बनाकर पी लेते हैं, क्योंकि दवा खरीद कर खाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है। 60 बरस के बाद किसान जब काम के लायक नहीं रहता है तो उसकी कैसी दुर्गति होती है समाज के अन्दर, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सबको पेंशन नहीं मिलती है, क्योंकि बी.पी.एल. वालों को मिलती है। सारे किसान बी.पी.एल. की लिस्ट में नहीं हैं। हमारे बिहार में 10-15 या 20 साल पहले ऐसी लिस्ट बनी कि जिनमें पक्के मकान, मोटरसाइकिल, गाय, भैंस और धनवान सम्पन्न लोग बी.पी.एल. की लिस्ट में हैं, लेकिन वह निर्धन, निर्बल, गरीब, जिसके पास न घर है, न मकान है वह बी.पी.एल. लिस्ट में नहीं है।

हम जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो 10-20 लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि एम.पी. साहब आप हमारा घर देखिए, हमारा नाम बी.पी.एल. की लिस्ट में नहीं है। हम तो उनकी बात सुनकर उसे सुधार नहीं सकते। इसलिए मैं तो संसद में यह भी प्रार्थना करूंगा कि उस बी.पी.एल. लिस्ट को समाप्त करवा दीजिए और नए सिरे से बी.पी.एल. लिस्ट को बनवाइए या आपने जो आर्थिक व सामाजिक स्तर पर जनगणना करायी है, उसके आंकड़े के आधार पर नए सिरे से बी.पी.एल. वाले लोगों को निर्धारित कीजिए। यदि पेंशन देते हैं तो मैं प्रेमचन्द्रन जी से आग्रह करूंगा, चूंकि ये लोग तो यूनियन वाले हैं, जो वामपंथी विचारधारा वाले देश में या भारतीय जनता पार्टी में भी जो मजदूर संघ वाले हैं। वे तो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मज़दूरों के साथ काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में वे नहीं जाते हैं। वे हमारे दर्द को क्या जानेंगे। यूनियन वाले लड़ते हैं, क्योंकि वे संगठित क्षेत्र से हैं, उनका अपना यूनियन है, वे आंदोलन करते हैं और सबसे बड़ी बात कि जब वे जुलूस निकालते हैं तो कहते हैं कि 'चाहे जो मजबूरी हो, मेरी मांग पूरी हो' हम वह भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम कहेंगे कि ' चाहे जो मजबूरी हो, मेरी मांग पूरी हो' हम स्वयं भूखे रह जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो मजबूरी है।

महोदय, अगर किसान को खेती के अलावा कोई अन्य रोजगार मिल जाए। अगर उनसे इतना ही कह दिया जाए कि 3,000 रुपया प्रतिमाह देंगे, आप खेती छोड़ दीजिए तो सब खेत छोड़कर 3,000 रुपये प्रतिमाह पर नौकरी कर लेंगे, क्योंकि उनके सामने मजबूरी है। उनके पास कोई अन्य धंधा नहीं है। अगर उसके सामने दूसरा पेशा या धंधा करने का विकल्प हो तो वह दूसरा धंधा कर लेता। मजबूरी में वह खेती में रहता है, किसानी-मजदूरी करता है। उनके लिए भी इन्होंने कुछ न कुछ होना चाहिए।

इन्होंने मकान की बात की, मैं मकान के लिए प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रधान मंत्री आवास योजना चलायी। वह लोगों को 1,30,000 रुपये मकान बनाने के लिए दे रहे हैं, ताकि हम आदमी के पास अपना आवास हो। एक आशा जगी कि प्रेमचन्द्रन जी कि जो पी.एफ. फण्ड पाने वाले हैं, उनके लिए आवास बनवा रहे थे। भारत सरकार ने सोचा कि पी.एफ. वाले आवास लेंगे तो ये पी.एफ न पाने वाले क्या लेंगे तो उनके लिए प्रधान मंत्री आवास योजना बना दी गई। यह एक बड़ी चीज हुई है इसे सर्वहिताय में और समग्रता में सोचने की आवश्यकता है। 3,000 रुपये प्रतिमाह मजदूरों के लिए हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह जिस मजदूर की बात कर रहे हैं, उनमें 90 प्रतिशत मजदूर पसीना बहाने वाले हैं। महोदय, मजदूर दो तरह के होते हैं, एक पसीना बहाने वाले हैं और एक कलम चलाने वाले हैं। पसीने वाले पसीना बहाते हैं और कलम वाले कलम चलाते हैं, ए.सी. में बैठते हैं, ठण्डे मौसम में गर्म ए.सी., गर्म मौसम में ठण्डे वाले ए.सी. में बैठते हैं, लेकिन वे भी पेंशन पाते हैं। हम तो गर्मी में तपते हैं, ठण्डे मौसम में सिकुड़ते हैं और बरसात में भीगते हैं। हम गीला कपड़ा लेकर जमीन पर सोते हैं। हमें न मजदूर मानते हैं, न कोई कर्मचारी मानते हैं, जबकि सबसे ज्यादा कर्म करने वाले हम ही हैं। हम नःस्वार्थ भाव से और गीता के भाव से निष्काम कर्म करते हैं। हमें कुछ मिले न मिले पर अनाज पैदा करना है, देश के लोगों को खिलाना है, हम तो राष्ट्र की सेवा करते हैं, भारत माता की पूजा करते हैं। जब खेती करने जोते हैं तो सबसे पहले बीज डालने के बाद दोनों हाथों से धरती को छूते हैं। ओले की तरह मिट्टी को माथे पर लगाते हैं और कहते हैं कि धरती माँ हमारी इज्जत रख लेना। हम तो धरती को माता समझते हैं, स्वाइल नहीं समझते हैं। अंग्रेजी में लोग इसको स्वाइल कहते हैं। हम उसको माता मान कर पूजा करते हैं। उनकी सब संतानें हैं, इसलिए उनकी संतान सुखी हो, भरपेट अन्न मिले, चेहरे पर लाली हो, इसलिए रात-दिन कमाते हैं। फिर जब हम भी बूढ़े हो जाएं तो बुढ़ापे में हम भी तो आराम से रहें। हमें भी दवा के लिए अपने बेटे-बहू के ऊपर आश्रित न होना पड़े। दत्तात्रेय जी, अगर आप इन किसानों को तीन-चार हजार रुपये पेंशन दे दें तो गरीब के बेटे-बहू उनकी भगवान के जैसी पूजा करेंगे और कहेंगे कि ये बूढ़ा-बुढ़िया सौ वर्षों तक जिंदा रहें, जिससे कि हमारे बच्चों का भी काम चल जाए। उनको भगवान के जैसा पालकर जिंदा रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, ताकि वे बचे रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि इन्हें जो ये तीन-चार हजार रुपये मिलेंगे तो हमारे बच्चों को भी इनसे कुछ खाने-पीने को मिल जायेगा। कभी केला, कभी कोई अन्य फल चखने के लिए मिल जायेगा। आखिर उस ओर भी ध्यान जाना चाहिए।

महोदय, मैंने इनके प्रस्ताव को पढ़ा तो मेरे मन में आया कि चलो हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत है और इस पर एक तरफा बात हो रही है। आप गरीबों को पेंशन दीजिए, उनकी पेंशन पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आखिर में छूट रहा था तो मैंने सोचा कि इस बड़ी पंचायत में कुछ अपना भी दर्द सुना दूं, ताकि लोग सुन लें, आप मुझ पर भी ध्यान दें। क्योंकि इस देश में दो वर्ग बने हैं, एक वर्ग पसीने वाला है और दूसरा वर्ग है पैसे वाला। पसीने वाला भूखा है और पैसे वाला लूटता है। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए, नरेन्द्र मोदी जी को दीजिए। उन्होंने पैसे वाले का पैसा छीना और पसीने वाले तक पैसा पहुंचाया और जब वह पैसे वाले का पैसा छीन रहे थे तो कुछ वामपंथी भी कह रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कल जब अरूण जेटली जी यहां थे तो फाइनेंस बिल पर राज्य सभा का कोई संशोधन था, मैं उनसे पूछ रहा था तो बड़े-बड़े वामपंथी लोग, उसकी विचारधारा वाले, प्रोग्रेसिव लोग भी उनसे सवाल पूछ रहे थे। मैं अंदर से भगवान से पूछ रहा था कि हे भगवान, ये प्रोग्रेसिव हैं या डिस्ट्रक्टिव हैं। ये गरीब की बात कर रहे हैं या पूंजीपति की बात कर रहे हैं। आखिर हम उनके लिए भी सोचें, जो अछूते हैं। प्रेमचन्द्रन जी, मैं जानता हूं कि आपके मन में कर्मचारियों के लिए प्रेरणा है, दया है, सहानुभूति है कि वे सुखी हों। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब आप तृतीय श्रेणी कर्मचारी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बारे में सोचते हैं तो उनमें भी सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित समाज के बच्चे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो पसीना बहाने वाला किसान और मजदूर है, आपने भी खेत में काम किया है, क्या कभी उनके बारे में सोचा? किसी ने नहीं सोचा।

महोदय, आखिर हमारे लिए जनधन योजना आई तो आप पी.एफ. कहिये, लेकिन हमारे लिए पी.एफ. से भी बड़ा पी.एफ. कहिये, मैं तीन बार कहूंगा कि वह पी.पी.पी.एफ है। इसलिए कि हमारा एक रुपया भी लिये बिना बैंक खाता खुल गया। पहले कोई जाता था तो बैंक वाला घुसने नहीं देता था। आखिर दृष्टि मुड़ रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि दृष्टि, दिशा और संकल्प, 'जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पन माजत रहिये, दर्पन में लागा काई तो दरश कहां से पाई।' आपने अच्छी बात उठाई है, भारत सरकार का ध्यान इस ओर जायेगा। मैं एक छोटा सा पत्र लिख देता हूं। अगर बात मौके की होती है तो प्रधान मंत्री जी उस पर नोटिस लेते हैं।

मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। देश में पद्म पुरस्कार दिये जाते हैं। मैंने प्रधान मंत्री जी को लिखा था कि कुछ ऊपर वाले लॉबी वाले हैं, उनके लॉबिंग करने वाले पुरस्कार लूट लेते हैं और हम जो गरीब लोग हैं, हमारा लाबिंग करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हममें प्रतिभा और योग्यता होते हुए भी हम छूट जाते थे। तब प्रधान मंत्री जी ने तुरंत कहा कि इस बार लोग ऑनलाइन पद्म पुरस्कार के लिए आवेदन करें। जब ऑनलाइन किया तो कई हजार लोगों ने आवेदन किया और जिस दिन सिलीगुड़ी के गरीब मुसलमान करीम साहब, चाय बागान में मजदूरी करने वाले आदमी को हिंदुस्तान में पद्म पुरस्कार दिया है तो नरेन्द्र मोदी जी अपनी दृष्टि बता रहे हैं कि भारत की सरकार की नजर हिंदुस्तान के अंतिम मानव पर है। ऐसा पहले कभी क्यों नहीं हुआ। महोदय, सागर, मध्य प्रदेश में एक पुरानी महिला यादव डाक्टर है, विशेषज्ञ है, जब उनके पास पद्म पुरस्कार के लिए गया तो उनको कितनी प्रसन्नता हुई होगी। मैं उदाहरण दे रहा हूं। मैंने जो कहा कि जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पन माजत रहिये, यह दृष्टि है, यह किसकी दृष्टि है, यह दृष्टि प्रधान मंत्री जी की है, जो एक नम्बर की कुर्सी पर हैं। और उनकी दृष्टि नीचे है, इसलिए नीचे है, क्योंकि वह बिना पेंशन वाली माँ के पेट से जन्म लेकर आया है। वह ईपीएफ वाली माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है, उसने गरीबनी माँ के पेट से जन्म लिया है और इसलिए उसे गरीब के बारे में दर्द है। इन मजदूरों के लिए भी दर्द है, बंडारू दत्तात्रेय जी ने इनके लिए कई तरह के कानून बनाये हैं और कई में संशोधन किया है।

मैं अपना भाषण ज्यादा लम्बा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि प्रेमचन्द्रन जी, जब आप बोलेंगे, आपका नाम प्रेमचन्द्रन है, तो जरा प्रेम से किसान, मजदूर के भी गीत कभी गा लिया करो। केवल संगठित मजदूरों के गीत मत गाओ, एकतरफा मत रहिए, कभी-कभी अपने गीत में मेरी धुन भी मिला दिया करो। कभी-कभी अपने गीत में मेरी गरीबी और मजबूरी को लय और स्वर बना दिया करो, जिससे कि हमको भी लगे कि अब कुछ लोग गाने वाले आये हैं। आपने इनको दिया कि कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का विभिन्न अन्य क्षेत्रों तक विस्तार, मैं इसीलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, कि आपने माँग की है कि अन्य क्षेत्रों तक विस्तार। अन्य क्षेत्र माने जो असंगठित लोग हैं, जिनका कोई लेखा-जोखा नहीं है। मैं माँग करूँगा कि यह जो मनरेगा है, मनरेगा का जो पैसा है, उस पैसे को मजदूर को मजदूरी में देते हैं, आप मनरेगा के पैसे से ही किसान के मजदूर की पेंशन में डाल दीजिए। कम से कम इससे कल्याण तो होगा कि बुढ़ापे में भी हमको दो रोटी मिलेगी और अच्छे से मकान में रह सकेंगे। इसलिए मैं बोलने के लिए उठा हूँ। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए इस सदन से प्रार्थना करूँगा, इस देश के प्रशासनिक अधिकारियों से भी प्रार्थना करूँगा, नीति आयोग से भी प्रार्थना करूँगा, हिन्दुस्तान के गाँव, गरीब, किसान और जो समाज के लोग आज लोक सभा चैनल देख रहे होंगे, पढ़े-लिखे बुद्धिजीवियों से कहूँगा कि मेरी बात को अगर सुनिए तो आप जहाँ कहीं भी हों, गाँव में हों, अपनी आवाज देते रहो, डॉ0 लोहिया ने हमें सिखाया था कि हलचन्द खेत में हल चलाते रहो, हाथ रहे हल की मूठ पर, लेकिन तुम्हारी नजर रहे लालकिले पर, क्योंकि उसी लालकिले से सब कुछ मिलेगा और तुम्हारा कदम हर दिन बढ़े कि हम लालकिले पर जायेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है ना, मूर्ति के हाथ में संविधान है, वे संसद की तरफ ऐसे अंगुली उठाये हुए हैं। मैं एक बार अपने तीन-चार एमएलए साथियों के साथ आया था, जनवाणी दिवस पर आया था। पटेल चौक पर राज नारायण जी की टाँग तोड़ दी, आजाद फर्नांडीज की समूची हड्डी चूर कर दी थीं, आज भी वह भुक्तभोगी लाचार अवस्था में भोग रहा है। उसमें मैं आया था। हमारे एम.पी.,एम.एल.ए. लोग साथ आये, चलो लोक सभा देखें। मैंने कहा कि देखो यह मूर्ति कुछ कह रही है तो सब लोगों ने कहा कि अरे, पागल हो गये हो। यह पत्थर की मूर्ति क्या कहेगी, मैंने कहा तुम नहीं सुनते हो, मैं सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा बोलो क्या सुनते हो, मैंने कहा यह मूर्ति कह रही है, ऐ हिन्दुस्तान के गरीबों पिछड़ें, दलितें, श्रमजीवियें, मैं तुम्हारे लिए संविधान में बहुत अधिकार लिखकर जा रहा हूँ, लेकिन जब तक इस पार्लियामेंट पर कब्जा नहीं करोगे, तब तक तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। एक और मूर्ति खड़ी है इस संसद में, उसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन वह मूर्ति कह रही है। संयोग से जब भारत की संसद माने वह एक नम्बर की जो कुर्सी है, वह कुर्सी, वह एक नम्बर की कुर्सी, जिस पर नरेन्द्र मोदी आकर बैठे हैं, तो वह किताब में जो पिटारा लिखा हुआ था, वह भानुमति का पिटारा बन के बन्द था, अब पन्ना-पन्ना खुल रहा है। उसके अनुसार जो भी मुझको मिले, मुझे तो बहुत चाहिए, लेकिन भारत के साधन को, सम्पत्ति को ध्यान में रखते हुए जो पहले गाड़ी चलती थी, पहले ट्रेन में इंजन कैसे चलता था, गाँव का कच्चा माल लाया, शहर में पहुँचाया, शहर का पक्का माल ले गया, सरसों पैदा किये हम, गया कानपुर, पहलवान छाप, हाथी छाप, गणेश छाप तेल पेराकर के टिन में बन्द होकर गया और उसका नफा उसने खाया। अब उसको भी बदला जा रहा है। इस पर समग्रता में कभी चिन्तन करने का काम कीजिए। समग्रता माने क्या, समग्रता में चिन्तन कीजिए कि किसको मिल रहा है, कहाँ जा रहा है। 'उज्ज्वला' योजना जो चलाई गयी, उसके अंतर्गत 95औ पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं। उन गरीबों को इसका लाभ मिल रहा है।

जैसे डॉक्टर लोहिया ने कभी इन्दिरा गांधी जी को कहा था कि अगर आप हिन्दुस्तान के गांवों में शौचालयों का प्रबंध करवा दें, सभी महिलाओं को खुले में शौच जाने से आप रोक लें तो मैं पांच सालों तक आपकी सरकार की कोई आलोचना नहीं करूंगा। उसी तरह मैं हिन्दुस्तान के सभी वामपंथियों से यह कहूंगा कि उसी तरह यह 'उज्ज्वला' योजना है। सभी वामपंथियों को यह कहना चाहिए कि आपने 'उज्ज्वला' योजना बनाई और उससे हिन्दुस्तान के 95 प्रतिशत गरीब, मज़दूर, पिछड़े और दलित लोगों को लाभ मिल रहा है। मैंने इसे इसलिए सुनाया है कि बंडारू दत्तात्रेय जी हमारे साथी रहे हैं। ये भी पिछड़े समाज के हैं, गरीबी से निकल कर आए हैं। बंडारू जी, आपके अफसर लोग भी गैलरी में बैठ कर मेरी बात सुन रहे हैं। आप अपने मंत्रालय में जाकर मेरी बात पर कोई कमेटी बनाकर चिंतन करें और खूब बढ़िया से एक प्रस्ताव बनाकर प्रधान मंत्री जो को भेजिएगा। प्रधान मंत्री जी भी मेरी बात जरूर सुन रहे होंगे और वे उस पर जरूर विचार करेंगे कि मैं पार्लियामेंट में ऐसा बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं तो उस पर प्रधान मंत्री जी गंभीरता से चिंतन करेंगे।

बंडारू जी, आप ऐसा प्रस्ताव बनाकर प्रधान मंत्री जी के पास पेश कीजिए। मुझे विश्वास है कि मेरी भावना के अनुकूल आप अपनी बुद्धिमत्ता, योग्यता, क्षमता के साथ अगर कोई प्रस्ताव बनाकर

प्रस्तुत करेंगे तो प्रधान मंत्री जी उसे जरूर मंजूर करेंगे। लाखों ट्रेन के डिब्बों से, ट्रकों से लूट-लूट कर लोग पैसे खा गए, यह देश ने सब देखा और इस देश ने सब भोगा है। अगर एकाध ट्रक रुपये गांवों, गरीबों, किसानों के पेंशन में चले जाएंगे तो जाने दीजिए न, कई ट्रक रुपये तो बड़े लोग लूट कर खा गए। एकाध ट्रक हमारे पेट में भी जाने दीजिए। थोड़ा-थोड़ा प्रसाद दे दीजिए। आजकल दुर्गा माता का नवरात्रा चल रहा है। अपने खजाने से थोड़ा-थोड़ा प्रसाद हमारे घर भी पहुंचा दीजिए। हमारे बच्चे भी आपका नाम लेंगे, आपकी जय-जयकार, जिंदाबाद करेंगे। वे अभी कर रहे हैं, लेकिन तब वे और थोड़ी मज़बूती से करेंगे। आकाश तक हमारी आवाज़ गूंजेगी।

धन्यवाद।

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Thank you, Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on this Bill.

I will start from the last point of the Resolution. My previous honoured colleague has said that the Employees' Pension Scheme, 1995 should be extended to some other places and it should not only be restricted to the unorganized sector. It should be there, but before that there are various other places where even the Government employees or Government-related employees do not get pension. One such place is the Post Office where the casual workers over there do hard work, but they have not got any pension scheme to be offered to them.

Similarly, I would like to mention about the unorganized sector like the zari workers in West Bengal. There are plenty of women folk who are working day and night doing zari work and making sarees, dresses and suits. They are also workers who are earning minimum wages. The *beedi* workers have also not got any pension scheme. There should be some provision for them also.

Of course, as regards the penultimate point of the Resolution, which states that : "Revise the whole Employees' Pension Scheme, 1995 on the basis of past experience", we all know that every 10-12 years the situation changes including the monetary conditions. Why should the pension scheme be all along having age-old things? It should be revised in a certain period of time. This is my point.

16.24 hours (Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

As such, pension is a welfare policy. So, there should be provision of minimum pension, which should be suitable and that also should be revised every 10 years, 15 years or 20 years. I am agreeing with the Resolution as taken by Shri Premachandran ji.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I do not know whether it has come to the notice of Madam that during the course of the discussion of this Private Member's Resolution, the hon. Minister and the PF Organisation have given two years weightage. I am very thankful to the Minister and the Government. Last week, on 23rd, when this Resolution was taken up for discussion, on the same day the Government issued an order and the PF Commissioner also issued an order by which those who are having salary more than the ceiling limit are entitled to pay the rest of the amount of the contribution and are entitled for full pension. Two orders have been issued and they come within the purview of my Resolution which has already been discussed in this House.

Yesterday, the PF Trust Board had a meeting in which very fundamental decisions have been taken. It is to my knowledge that some decisions have been taken. I would like to know from the hon. Minister whether this is also in the Resolution because when we are discussing the PF Resolution and Employees' Pension Scheme Resolution, some decisions are taken. Would the Minister like to clarify whether any decision has been taken in respect of extending the ESI benefit to the PF pensioners as well as extending the Scheme to some other set of workers like ASHA workers and some other sectors? It will be good for the discussion.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Sir, this much clarification I can give. As Shri Premachandran ji raised these two important issues. I had clarified one issue which he recently asked in Parliament. We have positively responded.

Now, regarding the pensioners, we are going to give pensioners benefit under the ESIC to those who are retired pensioners as ESIC is giving its retired IPs. We are also providing all medical services to the retired pensioners.

DR. MAMTAZ SANGHAMITA : Another point is 'medical benefits'. As the hon. Minister has already said, he has decided to do that. So, I welcome it and thank the hon. Minister.

SHRI BANDARU DATTATREYA: 58 lakh pensioners will be benefited.

DR. MAMTAZ SANGHAMITA : There is another point. The insured payment of full pension is given to the pensioner as per Employees' Pension Scheme 1995 after realization of full amount of commuted pension from the pensioners. I am also agreeing with that. The increase in minimum pension up to Rs. 3000 should not be stuck to Rs. 3000 only. It should have a provision to increase it from time to time as it requires.

Regarding housing facility, it should be for the lower level pensioners. They should be provided with the housing facility. Pensioners above certain limits, like somebody is getting a pension of Rs. 20,000 or Rs. 30,000, that means he already has got some provision and he can make the house. What about those with an income of Rs. 3,000, Rs. 5,000 or Rs. 6,000? There should be a scheme for providing housing facilities to them. So far as restoring the benefit of commutation and return of capital to the Employees' Provident Fund are concerned, I think they are genuine claims, which the Minister should look into. Thank you.

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मुझे यह सूचित करना है कि इस संकल्प पर चर्चा के लिए आबंटित सात घंटे का समय लगभग पूरा हो चुका है। चूंकि चर्चा में भाग लेने के लिए दस माननीय सदस्य और बचे हैं, इसलिए हमें इस संकल्प पर आगे चर्चा के लिए समय बढ़ाना पड़ेगा। यदि माननीय सदस्य सहमत हैं, तो संकल्प पर आगे चर्चा के लिए दो घंटे का समय बढ़ाया जा सकता है।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

माननीय सभापति : दो घंटे का समय बढ़ाया गया।

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): सभापति महोदय, मैं आपका आभार इसलिए मान रहा हूं कि आपने मुझे वहां से यहां तक रिलीव किया और बोलने का अवसर भी प्रदान किया।

हमारे साथी प्रेमचंद्रन जी एक बहुत महत्वपूर्ण रेज़ोल्यूशन लाए हैं। इसकी जितनी सराहना करें उतनी कम है। मैंने आपका भाषण भी सुना। पूरे सदन ने उसकी प्रशंसा की। आज मुझे लगा कि आप भाषण कर रहे हैं और मैं भी वहां बैठा सुन रहा था। मैं एक क्षेत्र में काम कर चुका हूं और आज भी कर रहा हूं। मैंने खुद बैंक में 25 साल तक सर्विस की है। बाद में चुनाव लड़ा और पांच टर्म से इस लोक सभा में बैठा हूं। मैं आपके विषय से सहमत हूं।

मैं सदन के सामने कुछ बिन्दु रखना चाहता हूं। गवर्नमेंट सर्विस अलग होती है, प्राइवेट सैक्टर की सर्विस अलग होती है। गवर्नमेंट सैक्टर्स को पहले से पेंशन मिलती है। प्राइवेट सैक्टर में प्रॉविडेंट फंड के साथ-साथ ग्रेच्युटी भी मिलती है। पहले किसी व्यक्ति ने जितने साल सर्विस की, उसके एक महीने में 14 दिन की सैलरी रखते थे और उसकी लिमिट साढ़े तीन लाख रुपये रखी गई थी। हमारे आदरणीय श्रम मंत्री जी ने उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया और अभी शायद हम 20 लाख रुपये की तरफ जा रहे हैं। साथ ही 1971 में एक फैमिली पेंशन स्कीम भी आई थी ताकि प्राइवेट सैक्टर में काम करने वाले लोगों को भी रिटायरमेंट के बाद थोड़ा लाभ मिल सके। उसमें इम्प्लाइज़ का कंट्रिब्यूशन सिर्फ 10 रुपये रखा गया था। सन् 1995 में जनरल पेंशन स्कीम आई। आपने बार-बार उल्लेख किया कि संगठित वर्ग अपनी मांगों के लिए संघर्ष करता है और उन्हें पूरी करवाता है। असंगठित वर्ग को भी लाभ मिले, इसलिए 1995 में जनरल पेंशन स्कीम लाई गई। उसमें 8 प्रतिशत से साढ़े 12 प्रतिशत तक प्रॉविडेंट फंड का डिडक्शन इम्प्लाइज़ की सैलरी से होता था और उतना ही कंट्रिब्यूशन इम्प्लॉयर का होता था। जब पेंशन की बात आई, तो उसमें से साढ़े चार प्रतिशत इम्प्लाइज़ का कॉरपस बनाकर रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन के तौर पर मिलेगा, उसमें यह एक भूमिका थी।

कुछ जगह संघर्ष के बाद थर्ड पेन्शन बेनिफिट का लाभ कुछ संस्थानों ने लिया। कॉरपोरेट सैक्टर हो या अन्य प्राइवेट सैक्टर हो, स्टेट बैंक इसका उत्तम उदाहरण है, उसके बाद रिज़र्व बैंक आफ इंडिया है, शेष पब्लिक सैक्टर बैंक की भी यही मांग है। हर कोई पेंशन चाहता है क्योंकि अनुभव ऐसा होता है जब आदमी सेवानिवृत्त होता है, उसे पीएफ मिलती है, ग्रेच्युएटी मिलती है, घर में बच्चों और लड़कियों के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं। अगर उसने घर नहीं बनाया है तो घर बनाने का प्रयास होता है, पूरा पैसा खर्च करता है। अगर घर में हम पैसा नहीं देते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। मैंने एक सीरियल देखा, एक इम्पलाई रिटायर होता है, घर में जाने पर उसका सम्मान होता है, उस सम्मान के कारण जितना भी पीएफ या ग्रेच्युएटी का पैसा होता है उसे वह खर्च कर देता है, बाद में, आहिस्ते-आहिस्ते वह पैसा देने के काबिल नहीं रहता है, मैं सीरियल की बात कर रहा हूं लेकिन हकीकत भी यही है, उसकी बहू कहती है कि आप बाहर जा रहे हैं हमारे कपड़े लॉन्ड्री में दिए हुए हैं उस कपड़े को लेते आना, यह उसकी वैल्यू होती है। भविष्य निर्माण निधि, सेवा निवृत्ति के बाद पैसा कहां रखें और उसके ऊपर आने वाले इंट्रेस्ट से गुजारा करें।

कानून में यह प्रावधान किया गया कि अगर घर के लिए पैसा चाहिए, बीमारी के लिए पैसा चाहिए या लड़के-लड़की की एजुकेशन या शादी के लिए पैसे चाहिए तो आप प्रोविडेन्ट फंड से पैसा निकाल सकते हैं। मिडिल क्लास के लिए हमेशा इसकी जरूरत होती है, प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाले जाते हैं और हाथ में पैसे कम होते हैं। जब हम सरकारी कर्मचारी की ओर देखते हैं,एक प्राइमरी टीचर भी गांव का आज 25-30 हजार रुपये से ज्यादा पेंशन लेता है इसलिए प्रेमचन्द्रन जी ने यहां इसका उल्लेख किया है।

हमारी सेवा का आखिरी वर्ष बारह महीने की सैलरी का एवरेज निकाल कर उसे पेंशन दी जाती है, यही प्रथा गवर्नमेंट में भी है। अगर असंगठित क्षेत्र की सैलरी कम है तो कम से उनको तीन हजार रुपये पेंशन देना चाहिए, इसकी भूमिका स्पष्ट है। अनक्लेम्ड प्रोविडेंट फंड 27 हजार करोड़ रुपये हैं, उसमें जो सेवा निवृत्त कर्मचारी हैं, जिनको जरूरत है उसके लिए खर्च करें, यह उनकी मांग है। हर बिन्दु सामने रखने का कारण है, आप किसान को छोड़ दें, असंगठित इम्पलाईज, संगठित इम्पलाइज, सरकारी और प्राइवेट सैक्टर में काम करने वाला इम्पलाइज को अच्छा पेंशन मिले। वर्ष 1995 का जनरल पेंशन स्कीम में क्या हुआ, दो-तीन साल के बाद सेवा निवृत्त हो, उसका कॉर्पस बहुत कम था और उनका मानहानि हो गया, उनको 400 और 500 रुपये पेंशन मिलने लग गए। लोग उसकी उपेक्षा करने लग गए, कितने आए, तीन सौ रुपये, चार सौ रुपये, लेकिन एक रिटायर्ड प्राइमरी टीचर्स को 25 हजार रुपये मिल रहे हैं, आप बैंक में काम रहे थे, इससे वह दुखी होने लगा, घर वाले जितना सम्मान देते थे उतना नहीं देने लगे, दूसरी तरफ आमदनी का कोई स्रोत नहीं और पेंशन 250-300 रुपये मिलता है। सरकार ने अमेंडमेंट लाया, आदरणीय बंडारू जी ने इसे मिनिमम एक हजार रुपये कर दिया। लेकिन वह व्यवस्था हमारे संगठित इम्पलाइज के लिए थी। आज सरकार उस दिशा में काम कर रही है कि हम कोई अच्छी पेंशन व्यवस्था दे पाएं। अभी जो यह कॉर्पस बनता है जैसा मैंने पहले बताया, उसमें साढ़े चार प्रतिशत पैसे हमारे इम्पलाइज के होते हैं, उनके प्रॉविडेंट फण्ड से कट जाते हैं, लेकिन उसे 1000 रुपये बनाने के लिए सरकार ने एक अन्य प्रयास किया। अपनी ओर से सरकार ने इसमें 1.6 प्रतिशत पैसा डाला, इसलिए वह कम से कम 1000 रुपये की पेंशन बन सकी।

हमारे साथी प्रेमचन्द्रन जी ने यहां जिस पेंशन स्कीम का उल्लेख किया है, उसका नाम है - इम्पलाइज वेलफेयर प्रॉविडेंट फण्ड पेंशन। इसके लिए प्रॉविडेंट फण्ड से पैसा कटेगा। अभी सरकार यह निर्णय ले चुकी है, उस पर अमल भी हो चुका है कि अगर कोई कर्मचारी 90 दिन भी किसी स्थापन में काम करे तो उसका भी प्रॉविडेंट फण्ड कटना चाहिए। इस पेंशन स्कीम का लाभ उसे भी मिलेगा। इसलिए यह जायज मांग है कि चाहे संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, उन सभी को अपनी निवृत्ति के बाद कुछ आर्थिक लाभ मिले, कुछ अच्छा लाभ मिले, यही इसकी भूमिका है। इसकी मैं सराहना करता हूं, सपोर्ट भी करता हूं। मैं सरकार से विनती करता हूं कि आप इस वेलफेयर फण्ड से आवास दें या न दें, सरकार की बाकी योजनाओं से आवास मिलेगा, अगर सही तरह से बीपीएल लिस्ट बनती है तो उनको भी लाभ मिलेगा। सरकार इस पर निर्णय ले और इस रिज़ोल्यूशन को अपनी तरफ से पास करे, जिससे पूरे देश में हमारे जितने भी संगठित एवं असंगठित कामगार हैं, उनको इसका लाभ मिले। यही अपेक्षा करते हुए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

माननीय सदस्य श्री प्रेमचन्द्रन जी द्वारा लाए गए संकल्प पर चर्चा हो रही है। मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं। जिस भाव के तहत इस संकल्प को सदन में लाया गया है, उसका सम्मान करते हुए, उसके व्यावहारिक पक्ष पर, उसके कार्यान्वयन पर और उसकी व्यापकता पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

<u>16.43 hours</u> (Shri Anandrao Adsul *in the Chair*)

सभापति महोदय, कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खड़ी की गयी है। आजादी के बाद ही हमारे देश ने, इस सदन ने और हम सभी ने यह महसूस किया था कि देश के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों में भविष्य के प्रति जो असुरक्षा का भाव था या उनका भविष्य सुरक्षित रहे, उनका बुढ़ापा सुरक्षित रहे, काम करने के बाद जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो उनके सामने आर्थिक संकट नहीं आए, पारिवारिक एवं सामाजिक संकट नहीं आएं, इसके लिए यह व्यवस्था खड़ी की गयी थी। सबसे पहले यह व्यवस्था एक अध्यादेश के रूप में प्रारम्भ हुई थी और बाद में वर्ष 1951 में इसे अधिनियम का रूप दिया गया, कानून का रूप दिया गया। एक प्रकार से एक व्यवस्था चल गई, लेकिन तब यह व्यवस्था सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों के बारे में जो कहीं न कहीं सरकारी कर्मी थे, संगठित कर्मचारी थे, उनके बारे में ही इसकी धारणा सीमित थी।

<u>16.45 hours</u> (Shri K.H. Muniyappa *in the Chair*)

समय के बदलाव, युग के परिवर्तन के साथ इसके दायरे में भी बढ़ोत्तरी होनी प्रारम्भ हुई है। धीरे-धीरे इसका क्षेत्र व्यापक होता चला गया और अधिक से अधिक लोग कैसे इसमें समाहित हों, इस पर चिन्तन-मंथन भी प्रारम्भ हुआ।

मैं समझता हूं कि यह जो अधिनियम बनाया गया था। उसमें भविष्य के प्रति आर्थिक रुप से सहायक सिद्ध होना, ऐसी व्यवस्था देश के अंदर खड़ी हो, इसकी एक धारणा थी। इसी संकल्प में अभी आदरणीय हुकमदेव जी बोल रहे थे, इसमें कई बिन्दुओं पर उन्होंने चर्चा की- जिनमें कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995, जिसमें न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करना और अंतिम संकल्प कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 का अन्य क्षेत्रों तक विस्तार था।

यह जो अंतिम बिन्दु है, इसके आधार पर इसकी व्यापकता बढ़ जाती है। मैं समझता हूं कि बदले हुए समय में, हमारे आदर्श और चिन्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि देश के विचारों

पर युगानूकूल विचार होना चाहिए। कई ऐसे विदेश के भी विचार हैं, उन पर देशानुकूल विचार करना चाहिए और आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए। इसको ध्यान में रखकर हम समझते हैं कि आज जो नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, यह इसकी व्यापकता की ओर धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है।

मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस पेंशन स्कीम पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारे सी.पी.आई. के ही लीडर थे, सांसद थे- एस. सुधाकर रेड्डी साहब और वह स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री लेबर कमेटी के चेयरमैन थे। जब वह चेयरमैन के रूप में इस कमेटी की रिपोर्ट दे रहे थे, तब विभिन्न श्रमिक संगठनों के द्वारा उस समय से ही 3000 रुपये की मांग थी, लेकिन उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये निर्धारित करने की अनुशंसा की थी।

चूंकि वह पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, आर्थिक रूप से कैसे कम से कम बोझ हो, इस पर सरकार विचार करती है। शायद जब यह निर्णय हुआ कि 1000 रुपये पेंशन देनी है तो उस कमेटी की रिपोर्ट उसका मूल आधार बनी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय में परिवर्तन हो रहा है, देश भर के तमाम मजदूर संगठन चाहे वे किसी भी राजनैतिक धारा से प्रभावित हों या गैर राजनीतिक विचारधारा के हों, हमने जो महसूस किया और जो लोग महसूस करते हैं कि यह पेंशन की राशि बढ़नी चाहिए। संकल्प में 3000 रुपये की बात आई है। सरकार का इस पर चिंतन-मंथन चल रहा है, 3000 रुपये से भी आगे जाकर शायद 5000 रुपये तक जाने की बात चल रही है। सच्चाई यही है कि जो कर्मचारी अपने जीवन का यौवन काल, क्रीम ऑफ दि लाइफ सेवा के भाव से सरकारी कार्यों में लगाता है, अब कितने सेवा भाव से वह लगाता है, क्योंकि आज के युग में वातावरण बदल गया है और उसके बारे में धारणा भी बदल गई है।

मैं यह मानता हूं कि सामाजिक धन वेतन के रूप में प्राप्त करके सरकारी कार्य करने का, क्योंकि सरकार का धन समाज का धन है, भाव यही होना चाहिए कि सरकार अपने-आप में कोई टकसाल नहीं है जहां से पैसे बांटे जायें। सामाजिक जीवन की जो आर्थिक संरचना है उससे जो आर्थिक चक्र चलता है, उसमें से सरकार के पास जो पैसा आता है, वह समाज का पैसा है। हमारे कर्मचारियों को उस पैसे से भुगतान होता है, उसके बदले उसके जीवन के महत्वपूर्ण भाग का सेवा लिया गया है तो उसका भविष्य अंधकारमय न हो।

सभापति महोदय, मैं अपने चौथे बिंदु के बारे में कहना चाहता हूं जिसकी चर्चा सभी वक्ताओं ने की है। हम विद्यालय में भारत का संविधान पढ़ते थे। उस समय एक बात हमारे ध्यान में आती थी कि भारत को संविधान के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है, अर्थात यह एक ऐसा राज्य है, जहां देशवासियों के साथ कोई नफा-नुकसान के तराजू पर जनकल्याण की भावना नहीं होगी, बल्कि राज्य का यह कर्तव्य बनेगा कि इस देश के लोगों के जीवन कल्याण के लिए एक कल्याणकारी राज्य के रूप में यहां की सरकार काम करेगी। यह संकल्प हमने अपने संविधान में व्यक्त किया है। जब हम लोक सभा या विधान सभा में चुन कर आते हैं तो हम सभी इस संवैधानिक संकल्प को स्वीकार करते हैं। हर जगह हम जनप्रतिनिधि के नाते संविधान की कसमें खाते हैं। जब हम कसम खाते हैं तो स्वतः वह बात आनी चाहिए कि हम यह बात स्वीकार करते हैं कि हम लोक कल्याणकारी राज्य संचालित करने में सहयोग की भूमिका निभायेंगे। आज उस भूमिका को व्यापक रूप में देखने के लिए, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा, यह भविष्य के प्रति आश्वस्त करने वाला भाग है।

जब सामाजिक असुरक्षा की भावना पारिवारिक जीवन में नहीं थी, तब लोग इसकी आवश्यकता महसूस नहीं करते थे, लेकिन जैसे-जैसे समाज आत्म केन्द्रित होता चला गया, वैसे-वैसे लोगों के जीवन में असुरक्षा की भावना सामने आने लगी। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं, हमारे इमरजेंसी काल में बहुत ही काबिल प्रोफेसर बिमला चन्द्र शर्मा, रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वह हमारे अध्यक्ष भी थे। जब हम उनके घरों में जाते थे तो बड़ा पारिवारिक स्नेह मिलता था। वह और उनकी पत्नी बड़े ही पुत्र भाव से हमको खिलाते-पिलाते और प्यार करते थे, समाज के लिए हमें कुछ करना है, यह सिखाते थे। कुछ दिन पहले मैं अपने घर में अखबार पढ़ रहा था, मैं भूल गया था कि बिमला चंद्र शर्मा जीवित हैं या उनका निधन हो गया, लेकिन मैंने अखबार में देखा कि कुछ लोग ऐसे भी जीने को मजबूर हैं। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अपने जीवन भर की कमाई से मकान बनाया था। उनके दो बेटे, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर थे। दोनों बहुएं पढ़ी-लिखी थीं। अखबार में लिखा था कि घर में ऐसी स्थिति आई कि वे घर से निकल कर वृद्धा आश्रम चले गए हैं। उनकी तमन्ना रहती है कि कोई उनसे मिलने के लिए आए, लेकिन कोई नहीं आता। उस समाचार को पढ़ने के बाद मैं बहुत दुखी हुआ। मुझे लगा कि सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाला, जिन्होंने कभी ट्यूशन नहीं दी, बल्कि कॉलेज समय के बाद हम लोगों को सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा देने का काम करते थे, उनकी आज यह दशा थी। उस दिन यह महसूस हुआ कि इतने पढ़े-लिखे व्यक्ति के साथ और जबकि उनके बच्चे भी काफी उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए थे, वे मूर्ख नहीं थे, इतने पढ़े-लिखे बच्चे ने अपने पिता को, जिन्हें बीस हजार रुपए पेंशन मिलती होगी, उनके ही बनाए घर से निकाल दिया। मैं कई बार सोचता हूं कि जो लोग पैसा जमा नहीं करते हैं, वे बुढ़ापे में अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। हुकमदेव जी बोल रहे थे कि किसान भविष्य निधि नहीं रखता है, यह सच्चाई है। किसान जो भी कमाता है अपने बाल-बच्चों की पढ़ाई में लगा देता है। उसके जीवन की सुरक्षा के बारे में कौन सोचेगा, इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की थी। मैं इस विषय को उलझाना नहीं चाहते हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि आज सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने की हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है।

महोदय, मैं एक और दृष्टांत बताना चाहता हूं। मैं पण्डित दीनदयाल जी की एक किताब पढ़ रहा था। उन्हें कई कार्यकर्ताओं ने पूछा कि प्रशासन में भ्रष्टाचार है, राजनीतिज्ञों में भी भ्रष्टाचार मिलता है, जहां देखते हैं, वहीं निराशा हाथ लगती है, ऐसी हालत में किससे प्रेरणा से हिंदुस्तान के लिए या समाज के लिए काम करें। मैं पण्डित जी के उत्तर को उद्धृत करना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि क्या तुमने 70 वर्ष के वृद्ध को अपने रिक्शे पर बैठाकर दो-दो या तीन-तीन नौजवानों को खींचते हुए नहीं देखा है? क्या तुमने जूठे पत्तलों पर कुत्तों को और इंसान के बच्चों को एक साथ झपटते हुए नहीं देखा है? मैंने बचपन में कई सामाजिक कार्यक्रमों में ऐसे दृश्य देखे हैं। शादी या दूसरे कार्यक्रमों में भोज के समय ऐसे दृश्य देखे हैं। पण्डित जी ने कहा कि जब तक ये हालात हमारे देश में हैं, तब तक तुम्हें कहीं से भी प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है, ये हालात तुम्हें प्रेरणा देने के लिए काफी हैं। तुम इन हालात को खत्म करो और प्रेरणा लो कि हम इन हालात को खत्म करेंगे।

महोदय, मैं प्रेमचन्द्रन जी की भावनाओं का सम्मान करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने ऐसी विवशता भरी जिंदगी में एक आशा का संचार करने के लिए कदम उठाना प्रारम्भ किया है। हम राजनीतिक वेदना से नहीं, सामाजिक वेदना से समाज के ऐसे असहाय लोगों के प्रति अपनी मानवता को जिंदा रखने के लिए, अपने अंदर इंसानियत को जिंदा रखने के लिए, देश में कल्याणकारी राज्य की भावना को, संकल्प को जीवित रखना चाहते हैं कि देश में सभी लोगों के बारे में विचार हो। भविष्य निधि इसलिए है कि कभी भी कोई आपात स्थिति आ सकती है, तब भविष्य निधि काम आएगी। किसी के सामने भी आपात स्थिति आ सकती है। मैं सांसद हूं, विधायक रहा हूं और मंत्री भी रहा हूं।

17.00 hours

मैं देखता हूं कि रोज़ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। गरीब लोग एक्सीडेंट के शिकार होते हैं, जिसके कारण उनका ब्रेन हेमरेज होता है, नर्व प्रॉब्लम होता है, न्यूरो प्रॉब्लम होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने इसके लिए प्रधानमंत्री असाध्य रोग सहायता राशि की पहले से व्यवस्था की है। राज्य सरकारों में भी ऐसी व्यवस्था है। हमारे राज्य में इसके लिए ढाई लाख रुपये तक सहायता देने का प्रावधान है, लेकिन उसके लिए बहुत-से प्रोसेस हैं।

आपात परिस्थितियों में गरीबों को राशि कैसे दी जाए, क्या हम लोग इस पर विचार नहीं कर सकते हैं कि हर जिले के अस्पताल में कुछ पैसे सुरक्षित रखे जाएं और संवेदनशील जनप्रतिनिधियों को उसकी जिम्मेवारी दी जाए, ताकि आपात अवस्था में उनको राशि उपलब्ध करायी जा सके, ताकि उनकी जीवन-रक्षा की जा सके। आज आपात अवस्था तो पूरे देश में व्याप्त है।

मैंने आपको उस प्रोफेसर की कहानी सुनाई। मैं स्वयं एक किसान परिवार का बेटा हूँ। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सदन इस विषय को एक संवेदनशील मुद्दे के रूप में ले। यह मजबूरी नहीं, बल्कि एक दायित्व है, इसे जरूर लेना चाहिए। लेकिन, हम सिर्फ औपचारिकता का निर्वाह नहीं करेंगे, बल्कि एक सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए हम लोगों ने आज वृद्धावस्था पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका नाम पहले इंदिरा गांधी आवास योजना था, दिव्यांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना आदि हैं। ये सभी गरीबी की अवस्थाएँ हैं, जीवन की एक आपात स्थिति है। उसी प्रकार से संपूर्ण हिन्दुस्तान में, मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु-पक्षियों को, जीव मात्र को इस सृष्टि को नियंत्रित करके संतुलित रखने वाले तमाम लोगों को जो संरक्षण देने का काम करते हैं, वे किसान भाई हैं। हमें उनके जीवन की सुरक्षा के बारे में भी जरूर विचार करना चाहिए। यह एक ऐसी बाध्यता हो कि जैसे आम आदमी पेंशन, जीवन बीमा पेंशन और अटल पेंशन योजना है, उसी प्रकार से हम देश के समस्त नागरिकों के भविष्य की चिन्ता करें और देश को उन्नत बनाने की ओर आगे बढ़ें, ऐसा भाव रखें। लोगों को निकम्मा भी न बनाएं। कानून का सहारा देकर उनको निकम्मा भी नहीं बनाना चाहिए, ताकि वे यह न सोचें कि हमें तो पैसे मिल रहे हैं। प्रेरणा के साथ संरक्षण हो और बीमा योजना का स्कीम बने, यही मेरी भावना है।

वंदे मातरम्।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी ने इम्प्लाइज़ प्रोविडेंट फण्ड के बारे में प्राइवेट मेम्बर बिल प्रस्तुत किया है, उसके बारे में मैं अपने विचार प्रकट करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ।

श्री प्रेमचन्द्रन जी का मैं अभिनन्दन करूँगा, उन्होंने एक अच्छा मूव किया है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। स्वागत इसलिए करता हूँ, क्योंकि आपको पूरा भरोसा है कि मोदी जी की सरकार ही इस काम को पूरा कर सकती है। इसलिए केरल से दिल्ली तक जो-जो सरकारें रहीं, उन सरकारों को आपके लाल भावटा के लोगों ने आज़ादी के बाद हर समय सपोर्ट किया। लेकिन, इतने लम्बे समय के बाद भी कामगारों का जितना कल्याण होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ।

प्रेमचन्द्रन जी जैसे एक जागरूक सांसद, जो हर विषय पर अपने विचार प्रकट करते हैं, को लगा होगा कि यह सही समय है, नरेन्द्र मोदी जी के ध्यान में यह मुद्दा लाया जाए तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कामगारों का कल्याण होगा। आपके द्वारा यह बिल मूव करने का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि इसके मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय जी भी बहुत डाउनट्रॉडन से ऊपर आए हैं। वे स्वयं एक कामगार थे। एक कामगार को ही दूसरे कामगार की व्यथा अच्छी तरह से समझ में आती है। यदि बंडारू दत्तात्रेय जी एक प्रस्ताव लेकर देश के प्रधान मंत्री जी के पास जाएँगे, तो प्रधान मंत्री जी बहुत ही कम समय में उनके प्रस्ताव को स्वीकृति दे देंगे। यह आपके मन की ही भावना नहीं, हमारे जैसे लोगों के मन की भावना भी है।

महोदय, मैंने आज 5.30 बजे की फ्लाइट से मुंबई जाने के लिए टिकट बुक कर रखा था, लेकिन जब मुझे इस विषय के बारे में पता चला तो मैंने भी अपने आप को इस चर्चा में शामिल करने का निर्णय लिया और इसलिए मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं भी एक चतुर्थ श्रेणी कामगार का बेटा हूँ। मैं स्कूल के दिनों से ही आधा दिन पढ़ाई और आधा दिन काम करके इस पार्लियामेंट तक पहुँचा हूँ। मैं एक मिनट के लिए विषय से अलग जाना चाहूँगा। परसों बाल मज़दूरी के संबंध में जो बिल चल रहा था, उस पर भी बोलने की मेरी बहुत इच्छा थी। उस पर मैं सबके विपरीत बोलने वाला था। मैं इसलिए सबके विपरीत बोलने वाला था, क्योंकि मैं इस सभागृह के माध्यम से पूरे देश के सभी लोगों के दिमाग में एक बात पहुँचाना चाहता था। सरकार किसी की भी हो, सरकार के लोग विदेशी नीतियों को देखते हैं। चाहे वह यूनाइटेड नेशंस ऑर्गनाइजेशन हो या ब्रिक्स सम्मेलन हो, सरकार के लोग इन सभी जगहों की अच्छी-अच्छी बातों के बारे में सोचते हैं। यदि हमारा देश इन सभी बातों को एक्सेप्ट करेगा, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे।

महोदय, मैं बहुत सहजता से यह बात बताने का प्रयास करता हूँ। 14 साल तक के बच्चों से काम करवाने को रोकने के लिए नियम बनाना एक अच्छा मूव है। यह एक प्रोग्रेसिव मूव है। क्या कभी हम यह सोचते हैं कि यदि बंडारू दत्तात्रेय जी के ज़माने में या मेरे ज़माने में यदि यह नियम आया होता, तो शायद हम इस पार्लियामेंट तक नहीं पहुँच पाते। आज देश में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं, जिनके माँ-बाप के पास उनको खाना खिलाने की व्यवस्था नहीं है। उन्हें नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, इसलिए वे लोग भीख माँगने का काम करते हैं। ये करोड़ों बच्चे भीख में माँगे गए पैसे से सिनेमा देखते हैं और चरसी बन जाते हैं और एक अलग मोड़ पर उनका पूरा जीवन चला जाता है। मैं परसों यह बात बोलने का प्रयास करने वाला था। क्यों न हम इस प्रकार की व्यवस्था करें कि ये बच्चे 10 सालों तक जिनके पास काम करें, वे लोग उनसे थोड़ा काम भी करवा लें और उन्हें एजुकेशन भी दिलवाएँ। इससे इन बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। हमें इस प्रकार की सोच के साथ आने वाले दिनों में आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ बहुत सी समस्याएँ हैं। यदि सबके मन में यह बात है कि अन्य देशों के अनुसार हम अपने देश में कायदे बनाकर हमारे यहाँ के लोगों के जीवन को अलग मोड़ दे पाएँगे, तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि मेरे मन में यह बात नहीं है। इससे बहुत से बच्चों का जीवन बिगड़ेगा। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा।

महोदय, मैं मुंबई शहर से आता हूँ। वहाँ के अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के विकास के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि वहाँ की राज्य सरकार के पास भी उपलब्ध है और मुंबई महानगर पालिका के पास भी उपलब्ध है। माननीय अटल जी की सरकार में अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के फायदे के लिए कायदे बनाए गए थे। इन कायदों को बनाने के लिए पैसा जमा होने लगा था, परंतु उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं हुआ है।

महोदय, मैं इस बिल के माध्यम से आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ और प्रेमचन्द्रन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके कारण हमें अपनी बात बोलने में सुविधा हुई। मुंबई महानगर पालिका और राज्य सरकार के पास बड़े पैमाने पर पैसा उपलब्ध है। मैं कॉर्पोरेशन से आया हूँ। मैं स्टेट असेंबली में दस साल था। वहाँ पर भी मैंने देखा कि एक विधायक को दस-दस सालों तक एक विषय के ऊपर लड़ना-झगड़ना पड़ता है। इसके बाद उस विषय पर कायदे बनते हैं, लेकिन इन कायदों के इंप्लीमेंटेशन में बहुत समय लग जाता है।

महोदय, जिन लोगों ने अपने श्रम का पैसा इसमें जमा किया है, उनको यह पैसा अब नहीं मिलने वाला है। वह तो जा चुका है। बिल बनने तक और उसके इंप्लीमेंट होने तक उन लोगों के पल्ले कुछ नहीं पड़ना है। उन लोगों ने पैसा तो भर दिया, लेकिन रिटर्न में उन्हें कुछ नहीं मिलना है। मैं कहना चाहूँगा कि देश में आने वाले समय में जो कायदा बनेगा, उसे एक साल के अंदर इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। इसके बारे में भी हमें आने वाले दिनों में सोचना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के लिए कायदे बनाने के विषय में और गंभीरता से सोचा जाए। अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों का पैसा जमा हो, जो कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिल सके। जो लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करते हैं, वे इस काम को करते हुए कभी-कभी बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाते हैं। उन लोगों को भी कोई नहीं पूछता है। ऐसी किसी घटना में हम जैसे जन-प्रतिनिधि वहाँ जाकर बिल्डिंग डेवलपर से बात करते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो पैसा जमा किया जाता है, वह उन्हें जल्दी नहीं मिलता है।

प्रेमचन्द्रन जी ने जो 3 हजार रुपये के बारे में बात की तो मैं उसके बारे में प्रधान मंत्री जी और बंडारू दत्तात्रेय जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पार्लियामेंट के हॉल में पहली मीटिंग में प्रधान मंत्री जी ने भाषण दिया था कि जो लोग पेंशन लेने आते हैं, उनको गाड़ी-भाड़े का भी पैसा नहीं मिलता है, इतना कम पैसा उन दिनों में मिलता था। प्रधान मंत्री जी ने उसको सीधे हजार रुपये कर दिया है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि हजार रुपये कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो राशि सैकड़ों में थी, उसको हजार रुपये तक पहुंचाने का काम प्रधान मंत्री जी ने किया। प्रेमचन्द्रन जी ने 3,000 रुपये की बात की और मेरे पूर्व एक सांसद ने 5,000 रुपये की जो बात की, वही मेरे मन में भी थी। उन्होंने 5,000 की बात कही, इसलिए मैं उसे बढ़ाकर 7,000 रुपये की मांग करने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं 5,000 रुपये तक ही अपनी बात सीमित रखूंगा, क्योंकि सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं, उसका निपटारा कैसे होता है, मुझे इसकी पूरी जानकारी है। हम कभी-कभी लुभावने भाषण कर देते हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर देते हैं। लोग तो आशा पर ही जागते हैं कि उनको यह मिलने वाला है, लेकिन उनको भाषण सुनने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। प्रेमचन्द्रन जी 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक, जब यह इंप्लीमेंट होगा, तब 3,000 रुपये और 5,000 रुपये की कितनी वैल्यू होगी यह न मुझे पता है, न ही आपको पता है। मुझे विश्वास है कि बंडारू दत्तात्रेय जी व प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2019 के चुनाव तक जब हम जाएंगे, तब इसका कोई न कोई रास्ता निकलेगा। इस बात की उम्मीद और आशा मेरे मन में है। यदि यह 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक होगा तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी।

रेसीडेंस के बारे में मैं अपनी भावनाओं को इस प्रकार से प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी को घर देने की बात कही है। वर्ष 2022 तक घर देने का जो संकल्प है या सरकार की जो सोच है। पहले चरण में जब मैंने मुम्बई जैसे शहर में प्रयास किया, क्योंकि हम तो शहर के लोग हैं, शहर की ही बात करेंगे और उनके विषय को लेकर ही लड़ेंगे। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आईं, सारी रूरल-अर्बन ग्रामीण भागों के लिए हैं। वह पैसा पहले एक लाख फिर डेढ़ लाख अब दो लाख हो गया। आने वाले दिनों में सरकार दो लाख को 3 टका ब्याज में ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने वाली है। मैंने एक चिट्ठी प्रधान मंत्री जी को लिखी। उसके उत्तर में यह था कि 3 प्रतिशत लोन में दो लाख रुपये की व्यवस्था करेंगे। 2-3 लाख रुपये में गाँवों में घर बन जाते हैं, लेकिन शहरों में नहीं बनते हैं। चाहे वह मुम्बई शहर हो या देश का कोई भी कॉस्मोपॉलिटन शहर हो, वहां दो लाख रुपये में घर नहीं बनता है। कोई बहुत ही भाग्यवान होगा, जिसका घर पहले प्रयास में बन के तैयार हो गया होगा। महानगरपालिका उनको परमीशन नहीं देती, उसका घर दो-तीन बार टूटे बगैर नहीं बनता है, चाहे वह दिल्ली, मुम्बई, पुणे, कोलकाता हो या मद्रास हो, जहां पर भी शहरी इलाके में घर बनाते हैं, किसी का भी घर नहीं बनता है। इसलिए हमें शहर के लोगों के लिए भी अलग स्कीम बनानी पड़ेगी। मैं सरकार से बहुत ज्यादा पैसों की मांग भी नहीं करूंगा और सरकार को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए यह भी नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि लोगों को 30-40 साल के लिए कम ब्याज पर लोन मिले। लोगों के पैसों से ही लोगों का घर बने। इसके लिए हमें कायदा तो बनाना पड़ेगा। We are the law making body. सरकार सब कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर सरकार यह सब नहीं कर पाएगी, इस वजह से हम चुप रहें यह अच्छी बात नहीं है। लोगों के पैसों से ही लोगों का घर बने, लेकिन वे आसानी से लोन ले पाएं, इसकी व्यवस्था भी हमें करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, आज जो लोग सरकारी दरबार में काम करते हैं उनकी पगार भी अच्छी है। चाहे वे स्टेट गवर्नमेंट, महानगरपालिका या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हों, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी अच्छी पगार मिलती है, किंतु अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों में तो 10,000 रुपये में भी काम करने वाले हैं, 15,000 रुपये में भी काम करने वाले हैं। वे 15,000 रुपये में क्या खाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और घर कैसे बनाएंगे। वे जीवन में घर नहीं बना सकते। सरकार को आने वाले दिनों में गंभीरता से सोचकर इस देश के हर नागरिक को घर देने की व्यवस्था हमें वॉर फुटिंग पे करनी पड़ेगी। हम इसे आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ मन बनाने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसे कार्य करेंगे तो देश के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात को गंभीरता से ले। शहर के लोगों को सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलती है। हमें आने वाले दिनों में इस पर सोचने की आवश्यकता है।

महोदय, प्रोविडेंट फण्ड के ऑनलाइन होने के बाद में लोगों को इन दिनों जो परेशानी हो रही है, वह भी खत्म हो जाएगी। हमने पिछले दिनों देखा कि प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम किया कि जो भी व्यक्ति को प्रोविडेंट फण्ड का पैसा लेने के लिए जाने से पहले वह जीवित है, इसका प्रमाण किसी नगर सेवक, एम.एल.ए. अथवा एम.पी. के पास से सर्टिफाइड करके जाना पड़ता था। उसको प्रधान मंत्री जी ने एक ही झटके में समाप्त कर दिया। अब वह स्वयं जाएगा तो उसको पैसा मिल जाएगा। हमने स्वयं देखा है कि प्रोविडेंट फण्ड का पैसा रिटायरमेंट होने के बाद उनको 1-1 साल, 2-2 साल तक नहीं मिलता है, क्योंकि मैं नगर सेवक के रूप में व एम.एल.ए. के रूप में काम कर चुका हूं। सभापति जी आप भी वहां से आए हैं। रिटायरमेंट होने के बाद उनको 1-1 साल, 2-2 साल तक पैसा नहीं मिलता है, इस प्रकार की शिकायत लेकर बहुत सारे लोग आते थे।

अभी ऑनलाइन होने के बाद सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आयेगा। बंडारू जी, मैं चाहता हूं कि रिटायरमेन्ट के बारे में हमें एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए कि जिसका वर्क रिकार्ड खराब होगा, जिसके खिलाफ कोई इंक्वायरी होगी, ऐसे लोगों को छोड़कर जो भी व्यक्ति रिटायर होता है तो रिटायरमेन्ट के साथ ही उसे उसका पैसा तुरंत मिल जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्योंकि रिटायरमेन्ट के बाद जब व्यक्ति घर पर जाता है तो वह स्वयं टूट जाता है, वह सोचता है कि मेरी नौकरी पूरी हो गई। उसके घर के लोग भी टूट जाते हैं। अगर रिटायरमेन्ट के साथ वह कुछ पैसा अपने घर ले जाकर अपनी बीवी-बच्चों को देगा तो उन्हें एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है। मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था हमें आने वाले दिनों में करनी पड़ेगी।

महोदय, प्राइवेट मैम्बर बिल के माध्यम से प्रेमचंद्रन जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, उसमें बहुत कुछ हुआ है और आगे बहुत कुछ होता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने जो भावना प्रकट की है कि टोटलिटी में जो वर्कर या कामगार हैं, वे रिटायरमेन्ट के बाद आसानी से जी पायें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदय, 2014 के चुनाव के समय जब मैं टी.वी. देख रहा था तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेन्ट की एक लेडी लेबर बता रही थी और उसने बहुत अच्छी प्रामाणिकता से अपनी बात रखी। उसने कहा कि मेरी पगार तो बहुत अच्छी है, लेकिन सारा पैसा महंगाई में चला जाता है। क्योंकि पिछली सरकार ने देश में जो वातावरण निर्माण किया था, पगार अच्छी होने का बावजूद भी, महंगाई भत्ता मिलने के बावजूद भी जितना पैसा मिलता था, वह पूरा महंगाई में चला जाता था। लेकिन देश के प्रधान मंत्री जी ने तीन सालों में देश में एक अच्छे वातावरण का निर्माण किया और हम महंगाई पर कंट्रोल कर पाये। 2014 के चुनाव के समय जो देश का वातावरण था और आज के वातावरण में बहुत बड़ा बदलाव आया है और देश के लोगों के मन में एक विश्वास जागा है कि आने वाले दिनों में और अच्छा होता जायेगा, लोगों के मन में यह विश्वास है। इसलिए प्रेमचंद्रन जी ने जो बातें रखी हैं, उन बहुत सारी बातों का समाधान इनडायरेक्टली मोदी जी की सरकार ने पिछले तीन सालों में किया है। इसके अलावा मोदी जी की योजनाएं पाइप लाइन में हैं, वे भी आने वाले एक साल में लोगों के सामने आ जायेंगी और दूसरे साल में इम्पलीमेन्ट होती हुई दिखाई देंगी।

महोदय, देश में चाहे अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोग हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हों, सेमी-गवर्नमेन्ट में काम करने वाले लोग हों या केन्द्र सरकार में काम करने वाले लोग हों, यह सारा देश हम सबका है, ये सब हमारे लोग हैं और इन सारे लोगों की व्यवस्था करने के लिए यह बॉडी बनी है। इसलिए हम सबका यह दायित्व बनता है कि एक इलेक्टिड मैम्बर होने के नाते हमें पूरे समाज के लोगों के बारे में, टोटलिटी के बारे में सोचने की आवश्यकता है।

अंत में, मैं प्रेमचंद्रन जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने एक अच्छा बिल सदन में प्रस्तुत किया है, इसलिए हम उसमें सहभागी होते हैं, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, चाहे वह लाल बावटा हो या जितनी भी यूनियन हों, हमारे भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने जिस प्रकार से काम किया है, आज पूरे देश में यह सबसे बड़ी यूनियन है। लेकिन कंपनी, फैक्टरी कम से कम बंद हो, उसका ख्याल हमारे भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने रखा। प्रेमचंद्रन जी, आप जिस विचारधारा से यहां तक आए हो, लाल बावटा के लोगों ने सारी कंपनियों को बंद करने का काम किया और इसमें हजारों, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। आज स्थिति यह है कि आज लोगों को कम पगार मिलने के बावजूद भी कोई स्ट्राइक करने का नाम नहीं लेता है। हम लोग कभी-कभी एयर इंडिया में आते हैं, सभापति जी आप भी देखते होंगे, आज नौ-दस हजार रुपये महीने की सेलरी पर एयर इंडिया में टैम्परेरी वर्कर लोग काम करते हैं। एयर इंडिया जैसी व्यवस्था में इतनी कम पगार मिलने के बावजूद भी उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वे किसी यूनियनिस्ट के पास जाएं और स्ट्राइक करें। वे कहते हैं कि जो पगार खाने-पीने के लिए मिलती है, वही ठीक है। पिछले दशकों में देश में जो स्ट्राइक कल्चर पैदा किया गया, यह उसका नतीजा है, यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

मैं मानता हूं कि इस बिल के माध्यम से आने वाले दिनों में हमारे जो कामगार वर्ग हैं, जो हमारे भाई हैं, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था खड़ी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद।

श्री अभिषेक सिंह (राजनंदगांव) : आदरणीय सभापति महोदय, आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में चर्चा हो रही है। इम्पलायी प्रोविडेंट फंड पेंशन के जो हितग्राही हैं, उनके वेलफेयर को लेकर, उनकी भलाई को लेकर सरकार क्या कदम उठा सकती है, उस पर एक रिजोल्यूशन आदरणीय प्रेमचंद्रन जी ने प्रस्तुत किया है। मैं उनको बधाई देता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उनका रिजोल्यूशन आया है और उस पर सदन के सभी सदस्यों ने अपनी भावनाएं और अपने तर्क रखे हैं। उनके आधार पर मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय मंत्री जी और केन्द्र सरकार निश्चित रूप से आने वाले समय में इस दिशा में कुछ ठोस और मजबूत कदम उठायेगी।

वर्तमान में यदि हम भारत की ओर नजर उठाकर देखें तो आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। आज हमारी 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, लेकिन यही बदलाव आने वाले दशकों में एक ऐसा अनुमान है कि 2050 तक भारत में जो बुजुर्गों की आबादी है, वह पूरी दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले अधिक हो जाने वाली है।

आज यह चर्चा इस सदन में हो रही है। वह आने वाले कल की परिस्थिति को देखते हुए कि हम अपने देश को, अपनी व्यवस्था को कैसे तैयार कर सकते हैं। आज हमारी अधिकतर लेबर फोर्स सामाजिक सुरक्षा के दायरे में नहीं है। हम कैसे आने वाले दशकों में अपनी 100 प्रतिशत वर्क फोर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे के अन्दर ले आयें।

महोदय, यदि वर्तमान पर नजर डालें तो एम्प्लाई प्रोविडेंट फंड आर्गनाइजेशन और जो एम्प्लाई स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन है, उन दोनों आर्गनाइजेशंस को अंब्रेला के तहत जो योजनाएँ संचालित हैं, उनमें लगभग इस देश के 5 करोड़ के आसपास हितग्राही प्रभावित होते हैं, उसके अन्दर आते हैं। केन्द्र सरकार की मंशा है कि आने वाले सालों में, वर्ष 2030 तक, अखबार के पृष्ठों में जो लेख था, उसके माध्यम से जो जानकारी मिली है, कि 50 करोड़ अतिरिक्त लेबर फोर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सरकार काम कर रही है। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को और आदरणीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण सोच, जिसके तहत इस देश की पूरी वर्किंग पॉपुलेशन आने वाले 15 साल से कम समय के अन्दर यदि सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आती है, तो कहीं न कहीं इस देश का जो सामाजिक सुरक्षा का आधार है, पूरे विश्व में और कम से कम 125 करोड़ की आबादी वाले भारत जैसे विविधता वाले देश में जो महत्वपूर्ण काम किया है, वह पूरे विश्व के लिए एक आदर्श होगा।

महोदय, हमें मालूम है कि आज भी इस देश में जो वर्क फोर्स है, 90 प्रतिशत वह अनआर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करती है। अनआर्गनाइज्ड सेक्टर में जब ये काम करते हैं, उसमें चाहे हमारे लोगों के घरों में काम करने वाले लोग हों या छोटे-छोटे लघु और कुटीर उद्योग में काम करने वाले लोग हों या इंडस्ट्री में काम करने वाली लेबर फोर्स हो, जरूरत है कि इस पूरी लेबर फोर्स को एक सुनिश्चित योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा के दायरे पर मजबूती के साथ लाया जाये।

महोदय, उसी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार आज से नहीं पिछले कई दशकों से प्रयास कर रही है। यह जो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड है, जो वर्कर्स हैं, उनके रिटायर होने के बाद एक निश्चित आय की व्यवस्था उनके लिए हो सके और जब उनके पास कोई कठिन समय आये, चाहे वह बच्चों की शादी हो, उनकी शिक्षा हो या कभी घर खरीदने की जरूरत पड़े या कभी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई इमरजेंसी हो, ऐसे समय पर इस प्रोविडेंट फंड का उपयोग वे कर सकें। इंश्योरेंस के कवरेज में हमारी ज्यादा से ज्यादा आबादी आ सके और इस प्रावधान को इस देश की लगभग शत-प्रतिशत वर्क फोर्स तक ले जाने के लिए केन्द्र सरकार ने भी और नीति आयोग ने भी एक विजन और स्ट्रैटिजी डॉक्यूमेंट पर काम करना शुरू किया है। हम सब उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में वह विजन और स्ट्रैटिजी डॉक्यूमेंट लोक सभा के पटल पर इन सदस्यों के सामने आयेगा।

महोदय, पिछले कुछ सालों पर यदि हम नजर डालें तो यह जो ग्लोबल फाइनेन्शियल क्राइसेस सन् 2008 में इस दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ी, उस मंदी से इस दुनिया की जितनी मजबूत अर्थव्यवस्थाएँ हैं, विकसित देश हैं, कहीं न कहीं उन देशों ने अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव किया। चाइना के ग्रोथ की गति कम हुई, यूरोपियन यूनियन में भी ब्रिटेन के एग्जिट होने के बाद एक अनिश्चितता बनी और इसका जो प्रभाव पड़ा, इन देशों के ऊपर जो सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम चल रहे थे, उनके ऊपर दबाव पड़ा। इनमें से कई देश ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में कटौती की, लेकिन वहीं अपवाद के रूप में भारत है, जिसने लगातार पिछले दो सालों में आदरणीय प्रधान मंत्री जी और एनडीए की सरकार के आने के बाद न सिर्फ अपने देश में एक

ेबहतर काम किया ह, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत म भी अपनी एक विशेष पहचान बनाई ह।

महोदय, एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था Melbourne Mercer Global Pension Index 2016 म एक सव किया और उसेक आधार पर यह पाया कि दुनिया क अन्य दशों की तुलना म भारत न अपन ेपशन क कार्यक्रम म सबस ेबहतर सुधार किया ह। म चाहता हूं कि पूरा सदन इसेक लिए माननीय मंत्री जी को और माननीय प्रधान मंत्री को बुहत-बुहत बधाई और शुभकामनाए दता हूं।

महोदय, कहीं-न-कहीं कन्द्र सरकार की नीतियां, लगातार हो रेह सुधार और टक्स पर इसटिव, चाेह वह इन ेपशन योजनाओं म पसा जमा करन क समय हो या पसा निकालन क समय हो, इन नीतियों न भारत क परफॉमस म लगातार सुधार लान का काम किया ह।

महोदय, एक बुहत बड़ा फसला माननीय प्रधान मंत्री जी न किया, जब उन्होंन इस बात को मंत्रालय क माध्यम स सुनिश्चित कराया कि इस दश म न्यूनतम ेपशन का जो फसला 01 सितम्बर, 2014 को आया, उसम प्रति माह न्यूनतम ेपशन की जो राशि थी, वह एक हजार रुपय की गयी। यह इस पूर दश क लिए और खासकर, इस सक्टर क लिए एक ऐतिहासिक फसला था।

महोदय, यही नहीं, कन्द्र सरकार न कई महत्वपूर्ण फसल किए और म चाहता हूं कि आज जब यह चर्चा हो रही ह तो उसका उल्लेख करन का समय मुझ इस चर्चा क दौरान मिलगा। पहल कर्मचारी भविष्य निधि म पात्रता क लिए अगर किसी की सलरी प्रति माह 6,500 रुपय या उसस कम ह, तभी वह पात्र होता था। इसम एक बड़ा परिवर्तन करत हुए, क्योंकि महंगाई की दर जो लगातार बढ़ी, उसकी आवश्यकता महसूस करत हुए कन्द्र सरकार न इसक लिए पात्रता की राशि को 6,500 रुपय प्रति माह स बढ़ा कर 15,000 रुपय प्रति माह किया। उसक लिए भी माननीय प्रधान मंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को म बधाई दता हूं। सरकार इस पात्रता की राशि को और बढ़ान पर विचार कर रही ह। म उम्मीद करता हूं और आज इस चर्चा क माध्यम स मांग भी करता हूं कि भविष्य म ई.पी.एफ. की पात्रता क लिए जो प्रति माह सलरी ह, उस 15,000 रुपय स बढ़ा कर 25,000 रुपय किया जाए, ताकि अधिक स अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा क इस दायर म शामिल हो सक।

महोदय, पिछल साल माननीय मंत्री जी न स्वयं इनिशिएटिव लकर अप्रैल और मई क माह म, हमार पूर दश म कंस्ट्रक्शन सक्टर म जितन भी लबरस ह, उन सबको इस योजना क साथ जोड़न क लिए दो माह तक लगातार प्रयास किया था। म उन्ह इसक लिए बधाई दता हूं, क्योंकि मुझ मालूम ह कि चाह वह छत्तीसगढ़ राज्य हो, जहां स म आता हूं या इस दश क अन्य राज्यों म काफी सफलता क साथ उसका क्रियान्वयन हुआ ह।

महोदय, कई इंडस्ट्रीज, जो पहल इस योजना म शामिल नहीं थीं, उन्ह शामिल करन का प्रयास हमारी सरकार न किया ह, चाह वह फिशिंग हो, कॉफी हो, टौबको हो, स्पाइसज हों, डटल मडिकल कॉलज हों या फिर एन.आर.एच.एम. क तहत जो सोसायटीज़ संचालित ह, उनको भी इस ई.पी.एफ. क कार्यक्रम म जोड़न की सहमति कन्द्र सरकार न दी ह।

महोदय, अगर हम ट्रांसपरसी की बात कर तो उसम एक और बड़ा परिवर्तन आया ह। ई.पी.एफ.ओ. की जो वबसाइट ह, उसम प्रिंसिपल इम्प्लॉयर अपन कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की डिटल्स को अपलोड कर सकता ह। इसक तहत सरकार न यह सुनिश्चित किया ह कि कॉन्ट्रैक्टर्स जिन लबरस को काम करन क लिए इम्प्लॉय कर रहा ह, उनको भी ई.पी.एफ. क दायर म लाया जा सक। एक ट्रांसपरट व्यवस्था की शुरूआत माननीय प्रधान मंत्री जी न की ह।

महोदय, एक बड़ा विषय, जो न सिर्फ म, बल्कि मर स पहल बोलन वाल वक्ताओं न भी अपनी ओर स व्यक्त किया था। क्लम सटलमट एक ऐसा विषय था, जिसकी वजह स हम सब, जो सार्वजनिक क्षत्र म काम करत ह, सांसद क रूप म काम करत ह, हमारा सबका अनुभव ह कि अपना क्लम पान क लिए महीनों-सालों लग जात थ और मज़दूर और वर्कर्स लगातार भटकत रहत थ। इस प्रक्रिया को बहद सरल बनान का प्रयास माननीय प्रधान मंत्री जी न और माननीय मंत्री जी न किया ह, जिसक तहत क्लम क जो फॉर्म्स थ, पहल जो फॉर्म नं. 19, फॉर्म नं. 10सी और फॉर्म नं. 31 होता था, जिसको भरना ही अपन आप म एक चुनौती होती थी, उसको बदलकर उस 'आधार' स जोड़ दिया गया ह। अपन ही सटलमट क लिए फॉर्म को सर्टिफाई करन क लिए व मज़दूर, व श्रमिक, व कर्मकार पहल भटकत रहत थ। पहली बार कन्द्र सरकार न एक परिवर्तन किया ह, जिसक तहत अब वह कर्मकार उस फॉर्म को सल्फ सर्टिफाई कर सकता ह। महोदय, यह एक छोटा-सा परिवर्तन जरूर दिखता ह, लकिन यदि हम इसक मूल म ध्यान द तो इस सरकार की प्राथमिकता ह कि यह सरकार अपन दश क नागरिकों पर भरोसा करना जानती ह। उसी भरोस को आधार बनाकर माननीय प्रधान मंत्री जी न और माननीय मंत्री जी न यह प्रयास किया ह। म इस दश क उन करोड़ों कर्मकारों क माध्यम स माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई दता हूं। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ह, जो हमार दश क श्रमिकों की ईमानदारी क ऊपर इस कन्द्र सरकार क भरोस को दिखाता ह।

महोदय, क्लम सटलमट की समय-सीमा, जिसम सालों लग जात थ, उसक लिए 20 दिन की अधिकतम समय-सीमा निर्धारित की गई ह। कई बार हम सबक अनुभव म यह दखन म आया ह कि इंप्लायर क पीछ-पीछ वह कर्मकार भटकता रहता था। उस फार्म को सत्यापित करान क लिए उसक चक्कर काटता रहता था और इस माध्यम स उसका शोषण भी होता था। अब किसी कर्मचारी को इंप्लायर स सत्यापित करान की आवश्यकता स मुक्ति मिल गई ह। निश्चित रूप स यह जो बसिक बदलाव ह, वह कहीं न कहीं इस दश क नागरिकों क ऊपर और इस दश क उस वर्ग क ऊपर, जिसको बहतर बनाना इस कन्द्र सरकार की प्राथमिकता ह, इस सरकार का विश्वास और मजबूत कमिटमट दिखाता ह।

महोदय, प्रधानमंत्री जी की कल्पना ह कि सन् 2022 तक 125 करोड़ वाली आबादी क इस दश म हर परिवार क पास अपना खुद का एक पक्का मकान होगा और उसी भाव को बढ़ात हुए 90 प्रतिशत तक की राशि, जो ईपीएफ की ह, उसको विड्रा करन की अनुमति माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी न दी ह, चाह वह घर खरीदन क लिए हो या अपन घर की ईएमआई क लोन पमट क लिए हो।

यदि म सामाजिक सुरक्षा की बात करूं, तो पहल अधिकतम इंश्योरस की जो सीमा थी, जो किसी कर्मचारी को या किसी इंप्लाई को मिलती थी, वह 3 लाख 60 हजार रुपय थी। कन्द्र सरकार क बनन क बाद इसम एक बड़ा परिवर्तन हुआ ह। वर्तमान म 6 लाख रुपय तक की राशि अधिकतम इंश्योरस म की गई ह। यह एक बड़ा परिवर्तन ह।

महोदय, म चाहता हूं कि मुझ थोड़ा समय और द, क्योंकि जिस राज्य स म आता हूं, उस राज्य म राज्य सरकार न अपन श्रमिकों, मजदूरों क उत्थान क लिए कई अच्छ काम किए ह। समाज क हर वर्ग को ध्यान म रखत हुए, उनक जीवन की बारीकियों को ध्यान म रखत हुए कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति ह, उस अंतिम व्यक्ति क लिए चाह कठिनाई आए, चाह सामाजिक दायित्व आए, कस सरकार उनकी सहयोगी बन सकती ह, इस भाव क साथ काम किया ह। चाह व असंगठित क्षत्र म काम करन वाल हमार श्रमिक, मजदूर हों या निर्माण क्षत्र म काम करन वाल मजदूर हों। राज्य सरकार न छत्तीसगढ़ म एक कर्मकार मंडल बनाकर, यदि महिला श्रमिक ह, जिसको अपन घर स काफी दूर तक जान क लिए यात्रा करनी पड़ती ह, तो उसकी सहूलियत क लिए, चाह वह महिला हो या पुरुष हो, लगभग तीन हजार की राशि सीध उसक खात म जाएगी, जिसक माध्यम स वह साइकिल खरीद सकती ह। इस तरह स उसक जीवन म एक सार्थक बदलाव लान का कार्य किया ह। यदि कोई महिला, स्वयं अपन घर पर या किसी आर्गनाइज्ड तरीक स 25 या 50 महिलाओं क ग्रुप म सिलाई का काम करती ह तो सरकार स सिलाई मशीन की सहायता उस महिला, उस पूर ग्रुप को मिल सक, इसक तहत प्रति सिलाई मशीन 4,600 रुपय उसक खात म जाएग। ऐसा प्रावधान छत्तीसगढ़ म किया गया ।

जो साइकिल रिक्शा चलात ह, उनको अपडट, बहतर साइकिल रिक्शा दन की एक योजना, जिसम 25 प्रतिशत राशि वह महनतकश मजदूर खुद लगता ह और 75 प्रतिशत राशि का अनुदान, राज्य सरकार अधिकतम 5,000 रुपय तक करती ह। यही नहीं साइकिल क माध्यम स जो हॉकर अखबार बांटत ह, उनक लिए साइकिल की योजना बनाई गई ह।

ऐस समाज क वर्ग क लिए जब कभी कोई गंभीर बीमारी आती ह, चाह वह किडनी की हो, कसर की हो, लकव की हो, सिकल सल की हो, म आपको बताना चाहूंगा कि यहां सिकल सल की अगर चर्चा करूं तो न कवल छत्तीसगढ़, बल्कि वह पूरा क्षत्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदश, ओडिशा, सिकल सल का पूर दश म एक बड़ा कन्द्र ह। ऐस मजदूरों की ऐसी बीमारियों क इलाज क लिए अधिकतम 50 हजार रुपय की राशि राज्य सरकार की ओर स मुहैय्या करायी जाती ह।

महोदय, इस विषय पर म यह भी बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ इस दश का पहला राज्य ह, जिसन यूनिवर्सल हल्थ इंश्योरस को अपनाया और हमार राज्य म हर परिवार को 30 हजार रुपय और अप्रैल क माह स 50 हजार रुपय तक की राशि हर साल इलाज क लिए दी जाती ह। हमार शहरों म समाज क सफाई कर्मचारियों क बच्चों का भविष्य बहतर हो सक, उनक लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई ह। ऐस बच्चों को कक्षा पहली स 1,000 रुपय स लकर कॉलज पुहंचन तक, उच्च शिक्षा म 15,000 रुपय की छात्रवृत्ति मिल ताकि आन वाल समय म व समय क साथ कंध स कंधा मिलाकर बढ़ सक, इस दिशा म हमारी सरकार प्रयास कर रही ह।

इसक साथ ही सामूहिक विवाह एक ऐसा प्रयास ह जिसम अपन आप समाज की कई कुरीतियों का समाधान सामन आ जाता ह। इसक तहत हर सामूहिक विवाह म शामिल होन वाल परिवार को बच्ची की शादी क लिए 15,000 रुपय तक की व्यवस्था सरकार क माध्यम स होती ह।

राज मिस्त्री, इलैक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारैंपटर, पेंटर आदि ऐसे श्रमिक हैं जो अपने पुरुषार्थ के बल पर न सिर्फ अपने परिवार का ध्यान रखते हैं बल्कि धीरे-धीरे आगे बढ़कर समाज के बीच खुद को स्थापित करते हैं। ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा उपयोगी औजार भी देने की व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा माननीय प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना का एक साक्षात उदाहरण बताना चाहता हूं। स्वाभाविक रूप से जब हम अपने-अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो कई ऐसे उदाहरण सामने आते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण इस योजना की सफलता का है। एक गरीब महिला भटकते हुए मेरे पास आई। उसने बताया कि उसके परिवार में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। दस दिन पहले उसके पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके दो छोटे बच्चे हैं। मुझे लगा कि वह कोई मदद मांगने आई होगी, लेकिन वह सिर्फ यह बताने आई थी कि मैं माननीय प्रधान मंत्री नेरन्द्र मोदी जी को बधाई देना चाहती हूं क्योंकि हमने सुरक्षा बीमा योजना का उपयोग किया था। आज मेरे पति नहीं है, लेकिन एक भाई के रूप में माननीय प्रधान मंत्री जी का सहयोग मेरे साथ है। मेरे परिवार को इस कठिन समय पर दो लाख रुपेय की सहायता मिली है। देश के गरीब परिवार की कठिन परिस्थिति की महिला की दुआ इस देश के प्रधानमंत्री को लग रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस देश में यह सरकार कई महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी।

आज सदन में जो चर्चा हो रही है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की अन्त्योदय योजना को सामने रखकर काम करने, इस देश के गरीब, वंचित, पिछड़े लोगों को ध्यान में रखकर काम करने की परम्परा रही है। यह चर्चा निश्चित रूप से इस सरकार के लिए सहयोगी और सकारात्मक सुझाव लेकर आएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : सभापति महोदय, यह महत्वपूर्ण गैर-सरकारी विधेयक कर्मचारियों के बारे में, उनके प्रॉविडेंट फंड के बारे में, उनकी पेंशन के बारे में है। जब व्यक्ति काम करते-करते अंतिम दिनों में पहुंचता है, तो प्रॉविडेंट फंड और पेंशन की उपयोगिता होती है। मैं जब पूरे भारतवर्ष की तस्वीर देखता हूं तो 17 करोड़ 14 लाख लोग प्रॉविडेंट फंड के खाताधारी हैं। जब इस इतिहास को देखते हैं, प्रॉविडेंट फंड का इतिहास 1952 से संशोधित विधेयक बना। पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए विधेयक बना, लेकिन लाइमस्टोन, भैंगनीज़, सोना माइन्स आदि के कर्मचारियों के लिए 1957 में उसमें समावेश किया गया। फिर 28 सितम्बर, 1957 को लेबर मंत्रालय ने पॉवर, अल्कोहल, सीमेंट इत्यादि का लगातार क्रम चलता रहा। आज अधिकांश क्षेत्रों में, यदि किसान की चर्चा छोड़ दें, तो उसे कवर करने का काम प्रोविडेंट फंड ने किया है। अभी मैं अभिषेक जी की बातों को सुन रहा था, शायद हम इम्पलीमेंटेशन की ओर जा रहे हैं, लेकिन अन्क्लेम्ड मनी 27 हजार करोड़ रुपेये है। यदि आप इसके पीछे के इतिहास को देखें, ये गरीब के पैसे हैं, जो कार्यालय में दौड़ता रहा और पैसा निकालने में सफल नहीं हो पाया।

मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं, वोह कोयला कर्मचारी हों, फैक्ट्री में काम करने वाले हों, कल कारखाने में काम करने वाला हो, मेरे पास दो वृद्ध महिलाएं आई, जिनकी उम्र 80 वर्ष होगी, मैंने पूछा कि मेरे पास क्यों आई हो? उसने कहा कि मैं दो बहन हूं, दोनों की शादी नहीं हुई थी, मेरे एक भाई थे, जिनकी भी शादी नहीं हुई थी और वह कारखाने में काम करते थे, अगर उनके प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युएटी के पैसे मिल जाएं तो हम दोनों बहनों की जिन्दगी पार हो जाएगी। मैं कोशिश करता रहा लेकिन उस पैसे को दिलाने में आज से आठ दस वर्ष पूर्व सफल नहीं हो पाया, वे भी इस दुनिया से चली गई होंगी।

प्रोविडेंट फंड में बहुत से नियोक्ता कल-कारखाने बंद करके चले गए। वामपंथी मित्र गैर-सरकारी विधेयक को लाए हैं, वे आंदोलन करके कल-कारखानों को बंद करा दिया। मैनेजमेंट और वर्कर्स के रिश्ते खराब हो गए, जब प्रोविडेंट फंड का फार्म नियोक्ता के पास हस्ताक्षर के लिए गया तो नियोक्ता हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हुआ।

यह अच्छी बात है कि माननीय नेरन्द्र मोदी जी की सरकार और माननीय लेबर मिनिस्टर ने सेल्फ सर्टिफिकेशन की एक नई व्यवस्था खड़ी की है, अगर सेल्फ सर्टिफिकेशन की जरूरत है तो उसे देने का काम कर रहे हैं। आप भी जानते होंगे, आपके क्षेत्र में भी होगा, बहुत से विद्यालयों के लिए, किसी से ईंट मांगी, किसी से बालू मांगा, किसी से गिट्टी मांगी और उस विद्यालय को खड़ा किया, उसमें शिक्षक पढ़ा रहे हैं और मैनेजमेंट साइन करा रहा है, लेकिन वर्षों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी एक पैसा नहीं मिला। वह स्कूल कॉलेज गांव-देहात में चलता है, किसी का प्रोविडेंट फंड जमा नहीं हुआ, 30 लाख, 40 लाख और 50 लाख रुपेय फाइन हुआ, उस फाइन को माफ कौन करेगा, उस संस्थान को कौन देखेगा, इस तरह के अनेक उदाहरण हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, वोह नियम में परिवर्तन हो, अगर नियोक्ता प्रोविडेंट फंड के शेयर को लेकर भाग जाता है या जमा नहीं करता है तो कानून के अनुसार उस पर एफआईआर होती है लेकिन जिस पीरियड का जमा नहीं किया उस पीरियड का ट्रेस्ट वर्कस को कैसे मिले, इसकी चिंता करनी चाहिए। अनक्लेम्ड मनी और पेंशन के बारे में एक प्रश्न पर माननीय मंत्री जी का उत्तर में देख रहा था, उसमें कहा गया था कि 1000 रुपेये पेंशन में भारत सरकार को 1.66 प्रतिशत पैसा अंशदान करना पड़ता है। अगर इस 3000 रुपेय किया जाएगा तो यह अंशदान 1.66 प्रतिशत से बढ़कर 8.33 प्रतिशत हो जाएगा, अर्थात इसमें चार से पांच गुना वृद्धि हो जाएगी। नीतिगत रूप से यह बात अच्छी लगती है, लेकिन इसके लिए 12,000 करोड़ रुपेय या 14,000 करोड़ रुपेय की आवश्यकता होगी। माननीय मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रेमचन्द्रन जी जैसे वामपंथियों की नीति है कि अराजकता फैलाओ और परिवर्तन के लिए क्रान्ति लाओ। जब तक भूखा इंसान रहेगा, दुनिया में तूफान रहेगा। यह भूखा इंसान बनाए रखने के लिए, सभी को लड़ाने के लिए, सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं चल रही है, जो कल्याणकारी कार्य चल रहे हैं, उनको रोकते हैं। कभी इतिहास में अटल पेंशन योजना जैसी योजना के बारे में सुना था कि सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में काम करने वाला, ठेले पर अपना सामान बेचने वाला या निजी क्षेत्र में काम करने वाला व्यापारी भी अपने को इसमें शामिल कर सकता है। यह काम सिर्फ माननीय मोदी जी की सरकार ने प्रारम्भ किया है।

अभी चर्चा हो रही थी कि हम किस तरह से गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, उससे भारत आज एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। इन सेक्टोरियल के कामों को एक साथ पूरा कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि पेंशन 1000 रुपेय तय हुई है, अब मंत्री जी इसके बाद विचार करें कि इसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं। हाउसिंग की बात आई है, अभी पता चला कि प्रॉविडेंट फण्ड से हाउसिंग लोन ले सकते हैं। इसकी घोषणा हुई है कि हम उसमें हाउसिंग लोन भी देंगे, लेकिन अनक्लेम्ड मनी से जितने भी सेवानिवृत कर्मचारी हैं, उनके लिए घर बन जाएं तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। कोल माइन्स प्रॉविडेंट फण्ड के पास भी अनक्लेम्ड मनी बहुत है। पूर्व में जो व्यवस्था थी, उनके प्रॉविडेंट फण्ड कमिश्नर ने पैसा मुंबई में एक निर्जीवक आईसीआईसीआई बैंक में जमा कर दिया। हम लोग लिखते रहे, रैंटडिंग कमेटी में यह बात उठाते रहे कि इसकी जांच हो कि किस अधिकारी से निर्जीवक में पैसा जमा किया गया। 45,000 करोड़ रुपेय इस तरह से मुंबई में जमा किए गए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच टीम वहां गयी और जांच टीम वापस आई, लेकिन उसके आगे सब लोग साइलेंट हो गए और कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उस व्यवस्था से हम एक पारदर्शी व्यवस्था की ओर जा रहे हैं और एक स्पष्ट तस्वीर आपके सामने है। हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं, वह तस्वीर आपके सामने है।

प्रोविडेंट फंड 1995 में जो था, इसको पेंशन से जोड़ने का काम हुआ है। उसके पूर्व से प्रोविडेंट फंड रहा है लेकिन इस पेंशन की व्यवस्था में निश्चित रूप से बहुत विषमता है। मैं जब झारखंड सरकार में शिक्षा मंत्री था, उस समय वर्ष 2000 में 1600 करोड़ रुपेय हेमें एच.आर.डी. में मिलते थे और 700 करोड़ रुपेय हम लोग पेंशन में देते थे और कहते थे कि योजना मद में हमारे पास कहीं पैसा उपलब्ध नहीं है और सारा पैसा गैर-योजना मद में है। राशि तो बहुत है, लेकिन यह विषमता निश्चित रूप से है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि इसको कहीं न कहीं, यथासंभव ऊपर उठाने के लिए काम किया जाए। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि वर्ष 2019 तक यह हो जाएगा, लेकिन हेमें लगता है कि वर्ष 2019 नहीं, अभी जी.एस.टी. लागू हुआ है, आमदनी बेहतरी और बढ़ रही है।

हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं, वह कई प्रकार के उपाय कर रहे हैं। इसलिए हमारा सरकार से यही निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। धन्यवाद।

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : माननीय सभापति जी, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा जो संकल्प लाया गया है और जिस संकल्प पर यहां चर्चा हो रही है, मेरा मानना है कि कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशनभोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में कुछ कदम उठाने के लिए यहां पर चर्चा हो रही है।

मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा कदम है और कर्मचारियों के बारे में सबको अच्छे विचार रखने चाहिए। मेरे जिन सहयोगियों ने चर्चा की है, यहां सकारात्मक चर्चा हुई है। सब चाहते हैं कि कर्मचारियों, मजदूरों, गरीबों के लिए अच्छी-अच्छी योजनाएं चले ताकि यहां का गरीब अपने पैरों पर खड़ा हो सके तथा नौजवानों और कर्मचारियों को भी किसी पर निर्भर न होना पड़े।

मैं प्रेमचन्द्रन जी से कहना चाहता हूं कि जब से केन्द्र की सरकार बनी है, नेरन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने हैं और हमारे जो श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने अपना पदभार संभाला है, तब से ही गरीब, मजदूरों की चिंता यह सरकार कर रही है। इसमें दो राय नहीं है कि हमारे गरीब मजदूरों और श्रमिकों की चिन्ता पहले नहीं की गई, इसीलिए ऐसे संकल्प इस सभा में लाये गये हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था कि गरीब और गरीब होता जा रहा था और अमीर और अमीर होता जा रहा था। परंतु अब मोदी जी की सरकार में गरीब मजदूर और श्रमिकों के कल्याण के लिए कई उचित कदम

उठाये हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि का जो लाभ है, वह कर्मचारियों को मिले। इसके लिए कई कदम इस सरकार ने उठाये हैं। विशेष तौर पर जो हमारे मंत्री हैं, उनके मंत्रालय द्वारा भी कई कदम उठाये गये हैं। हाल ही में, आपने देखा होगा कि पहले जो श्रमिक मजदूर थे, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले थे, वे एक जगह काम करने के बाद दूसरी जगह काम करने में कतराते थे और सोचते थे कि यदि यहां से यह काम छोड़ दिया तो दूसरी जगह जाने पर हो सकता है कि जो हमारा भविष्य निधि का धन वह यहां पर काटा गया है, वह बाद में हमें मिले या न मिले। इसलिए एक जगह से मजबूरी के कारण अगर वे नौकरी छोड़ते थे तो उनको भविष्य निधि का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले जो श्रमिक परिशानियाँ झेलते थे, अब उन्हें झेलने की चिंता नहीं है। अपने भविष्य निधि की निकासी के लिए जिस कंपनी में वे काम करते थे, अब उनके चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। पिछली कंपनी से भविष्य निधि निकालने के लिए किसी प्रमाण की भी जरूरत नहीं है। यह सुविधा अब इस सरकार ने उनको दी है। यूएएन नम्बर कर्मचारियों को, श्रमिकों को सरकार द्वारा दिया गया है, इसका भी बहुत बड़ा लाभ कर्मचारियों को मिल सकता है। पीएफ निकालने के लिए नियोक्ता से मंजूरी लेना भी जरूरी नहीं होगा। कर्मचारियों को ईपीएफओ के नए नियमों के तहत पूर्व नियोक्ता कम्पनी से किसी तरह का दस्तावेज प्राप्त नहीं करना होगा। मजदूरों को पैसा निकलवाने के लिए भी किसी कम्पनी की सिफारिश या दूसरे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। अब कर्मचारी श्रमिकों को चाहिए कि अपने पीएफ खाते को यूएएन के साथ जोड़ें और जो भी लाभ है, वे लें। जैसे हमारे वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे कि अब तो लोन लेने की सुविधा भी सरकार ने दी है और अब 90 प्रतिशत राशि आप निकाल भी सकते है तथा जमा भी करवा सकते है। इसके अलावा अन्य लाभ भी कर्मचारियों को मिलना प्रारम्भ हो गए है।

वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2016 को ईपीएफ सदस्यता खातों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से बदलाव इस नियम में किए गए है, आने वाले दिनों में इन खातों में और बढ़ोतरी होगी और हमारे जो मजदूर है, प्राइवेट काम करने वाले श्रमिक है, कर्मचारी है, कम्पनियों में और बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो लोग है, वे भी अपने खातों का लाभ ले सकते है और उन्हें इसका लाभ लेना भी चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि भारत के वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए सबसे लाभदायक एवं लोकप्रिय निवेश है। सरकार ने हाल ही में नई सेवा शुरू की है, जिसकी मदद से कर्मचारी अपने भविष्य निधि खाते की राशि एक संस्था से दूसरी संस्था में ऑन लाइन स्थानांतरित कर सकते है। यह सबसे बड़ा लाभ कर्मचारियों और श्रमिकों को हमारी सरकार ने दिया है। वैसे तो कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में चिंता कर रहे थे, लेकिन हमसे पहले की जो सरकारें रहीं है, शायद ही उन्होंने इस बारे में कभी चिंता की हो, इसलिए माननीय सदस्य ने यह संकल्प सदन में पेश किया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन ं और देश के गरीब लोगों को, किसानों को, श्रमिकों को, मजदूरों को और कर्मचारियों को यह बात भी बताना चाहता हूं और वे देख भी रहे है तथा महसूस भी कर रहे है कि जब से नेरन्द्र मोदी जी की सरकार बनी है, उन्होंने सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही भविष्य निधि की चिंता नहीं की है, बल्कि जो लोग कर्मचारी नहीं भी है, जैसे नौजवान है, बुजर्ग है, माताएँ है, किसान है और अति पिछड़ों के लिए इतनी योजनाएं बताई है कि उनका भविष्य सुरक्षित होगा। प्रधान मंत्री जी ने पिछले दिनों एक स्कीम प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना लांच की थी और इसके अलावा भी कई दूसरी योजनाएँ है, जिनका सीधा लाभ आम आदमी और गरीब आदमी को मिल सकता है। हम अगर पेंशन की बात करें तो पचास रुपए, सौ रुपए और ज्यादा से ज्यादा तीन सौ रुपया पेंशन दी जाती थी, लेकिन मोदी जी सरकार ने पहले दिन ही कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के कल्याण करने वाली सरकार होगी और गरीबों के हितों की रक्षा हमारी सरकार करेगी। आपने देखा होगा कि हमारे दिव्यांग और बुजुर्गों को सौ या दो सौ रुपया पेंशन मिलती थी, अब उन्हें एक हजार रुपए की पेंशन दी जाती है।

18.00 hours

HON. CHAIRPERSON : Shri Jugal Kishore ji, you may continue your speech next time.

The House stands adjourned to meet again on Wednesday, the 5th April, 2017 at 11.00 a.m.

-

18.01 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Wednesday, April 5, 2017/ Chaitra 15, 1939 (Saka).